FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

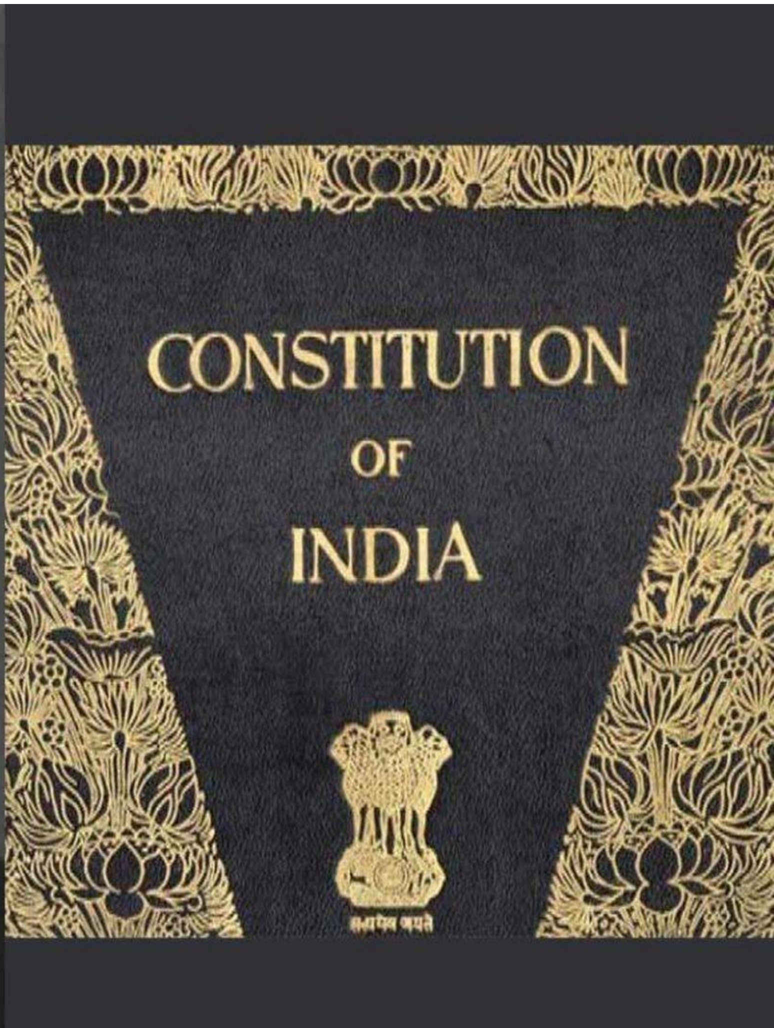

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

A Constitution designed to keep the country together, and to take it forward, had necessarily to be an elaborate, carefully-worked-out, and painstakingly drafted document.

एसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत, गहन विचार–विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाज़िमी था।

दिसंबर 1949 में तीन साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

The Constitution of India was framed between December 1946 and November 1949. During this time its drafts were discussed clause by clause in the Constituent Assembly of India.

भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविदे के एक–एक भाग पर लंबी चर्चाएँ चलीं।

❖ A Tumultuous Time

❖ उथल–पुथल का दौर

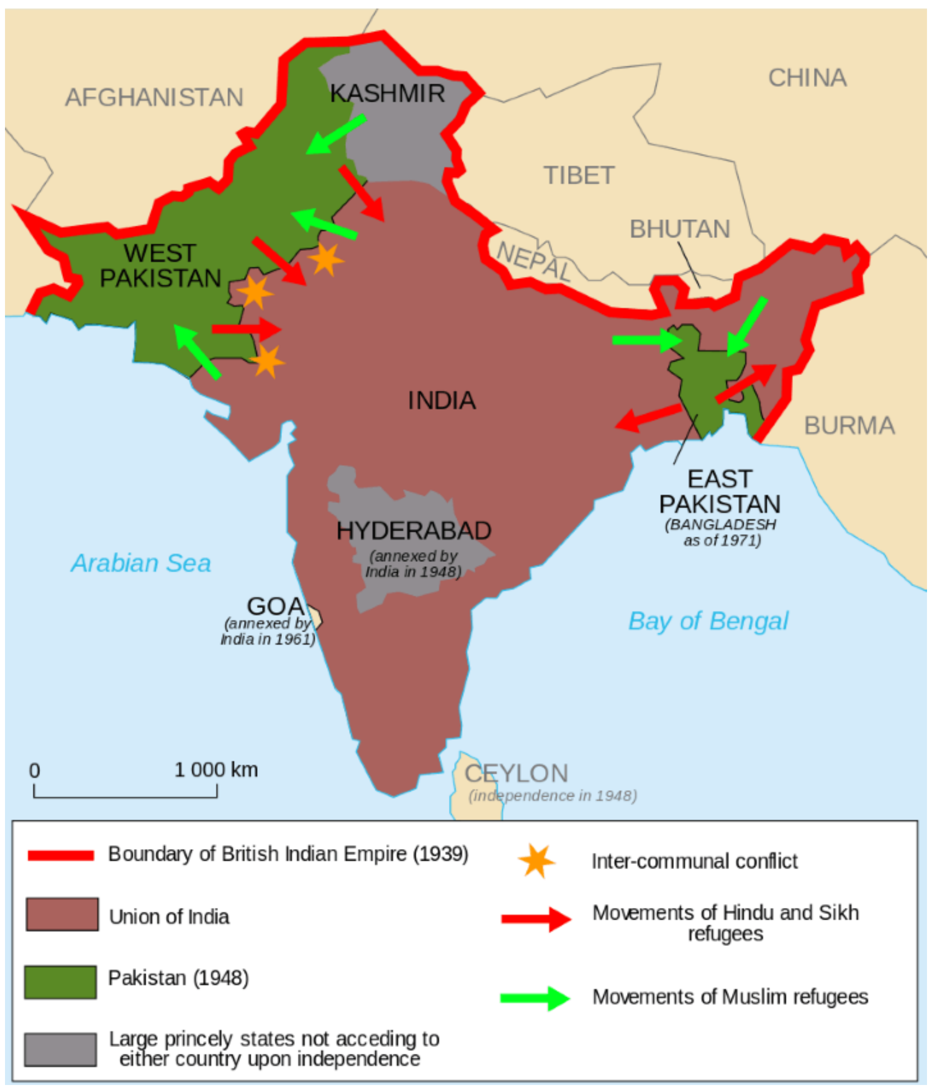

The years immediately preceding the making of the Constitution had been exceptionally tumultuous: a time of great hope, but also of abject disappointment. On 15 August 1947, India had been made free, but it had also been divided.

संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल–पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया।

Fresh in popular memory were the Quit India struggle of 1942 – perhaps the most widespread popular movement against the British Raj – as well as the bid by Subhas Chandra Bose to win freedom through armed struggle with foreign aid.

लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जनांदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे।

One striking feature of these popular upsurges was the degree of Hindu-Muslim unity they manifested.

व्यापक हिंदू–मुस्लिम एकता इन जनांदोलनों का एक अहम पहलू था।

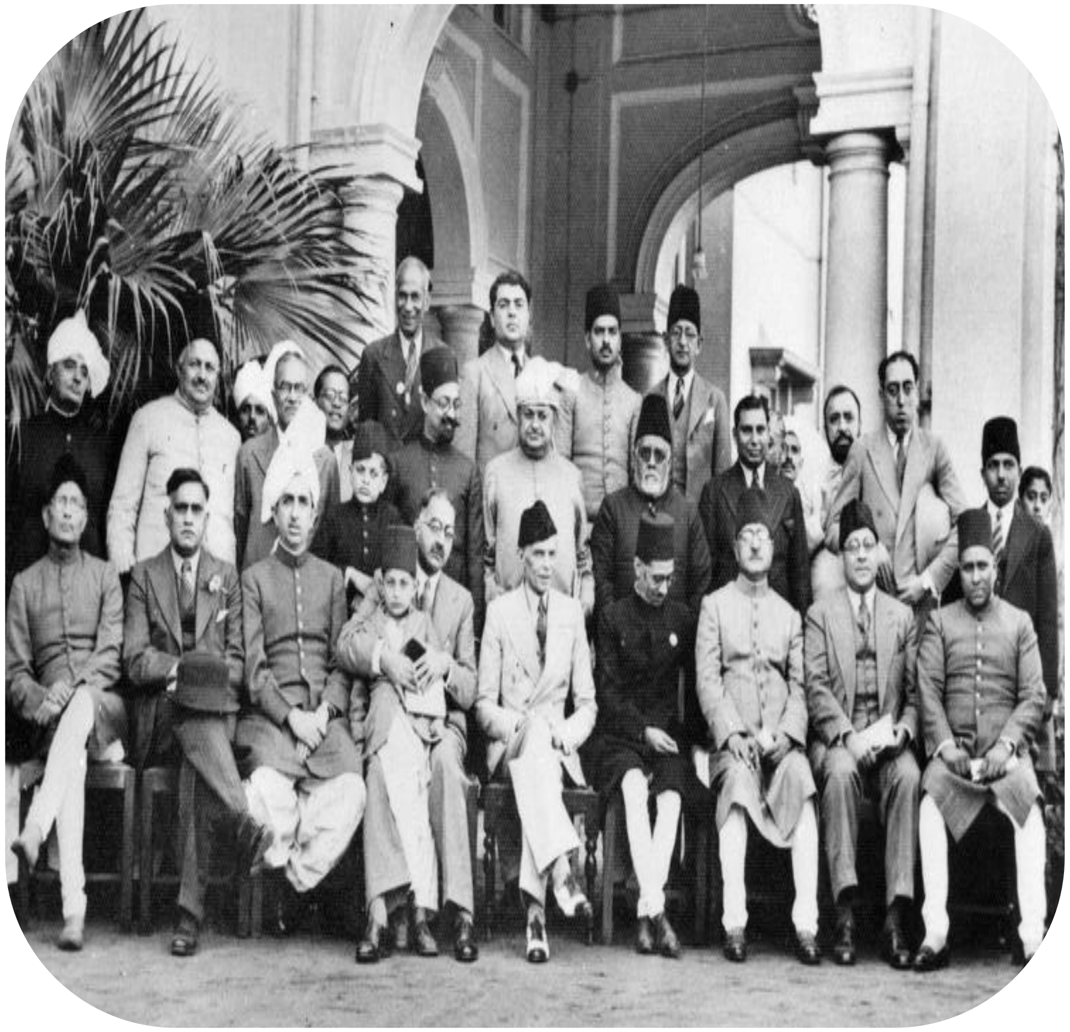

In contrast, the two leading Indian political parties, the Congress and the Muslim League, had repeatedly failed to arrive at a settlement that would bring about religious reconciliation and social harmony

इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द्र और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह–सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे।

14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू

इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियाँ इस प्रकार थीं : "बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में, बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है।"

The violence culminated in the massacres that accompanied the transfer of populations when the Partition of India was announced.

बर्बर हिंसा का यह वीभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश–विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे।

विनाश और उथल–पुथल की छवियाँ संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रहीं।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

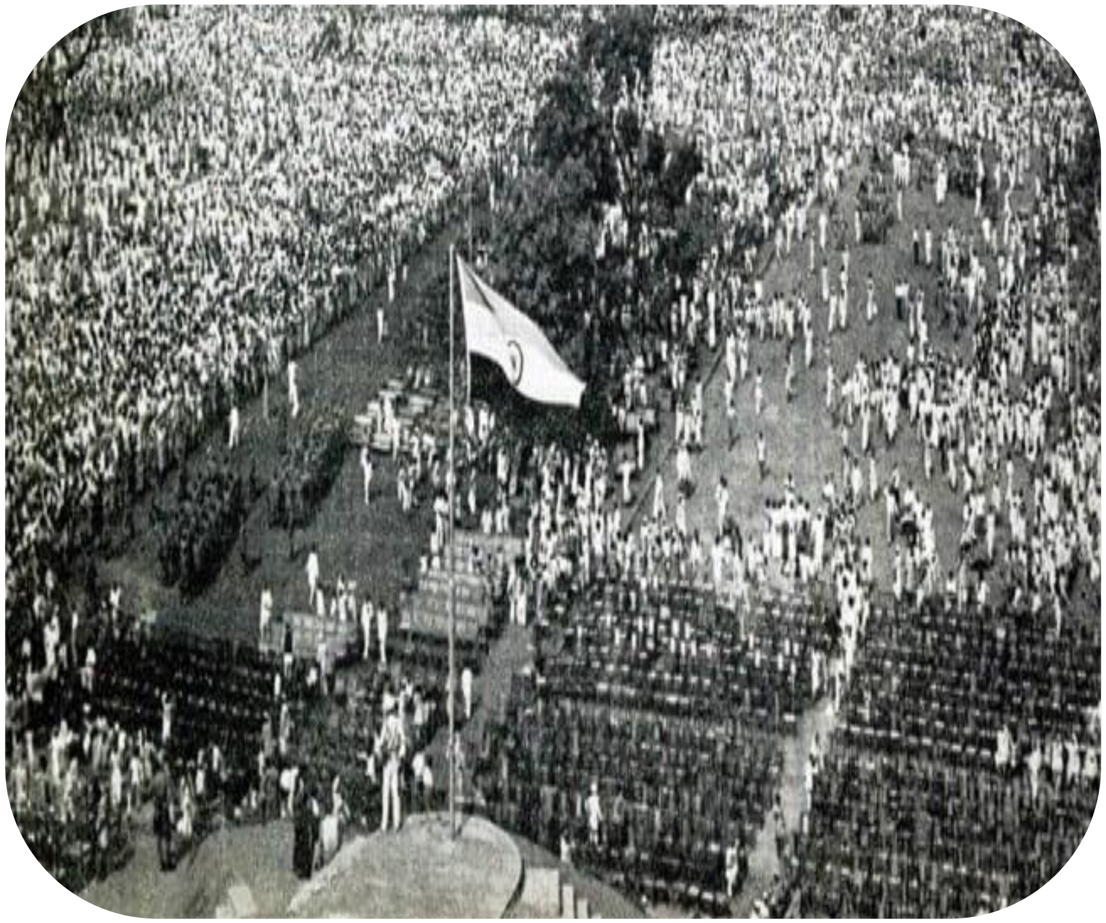

On Independence Day, 15 August 1947, there was an outburst of joy and hope, unforgettable for those who lived through that time.

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा।

Another, and scarcely less serious, problem faced by the new nation was that of the princely states.

नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देशी रियासतों को लेकर थी।

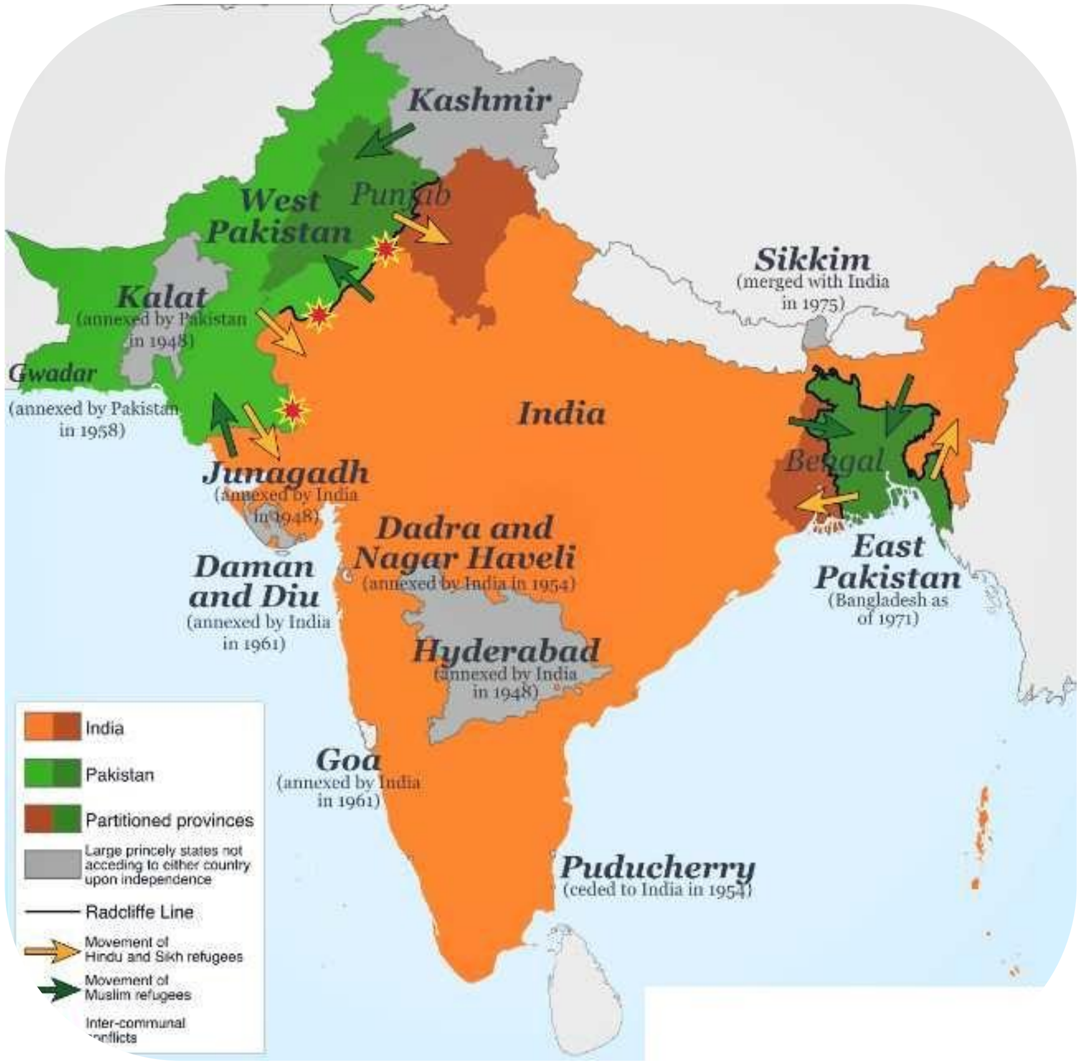

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

संविधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

During the period of the Raj, approximately one-third of the area of the subcontinent was under the control of nawabs and maharajas who owed allegiance to the British Crown, but were otherwise left mostly free to rule – or misrule – their territory as they wished.

ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग एक–तिहाई भू–भाग एसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफी आज़ादी थी।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

When the British left India, the constitutional status of these princes remained ambiguous. As one contemporary observer remarked, some maharajas now began "to luxuriate in wild dreams of independent power in an India of many partitions".

जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो "बहुत सारे टुकड़ों में बँटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे।"

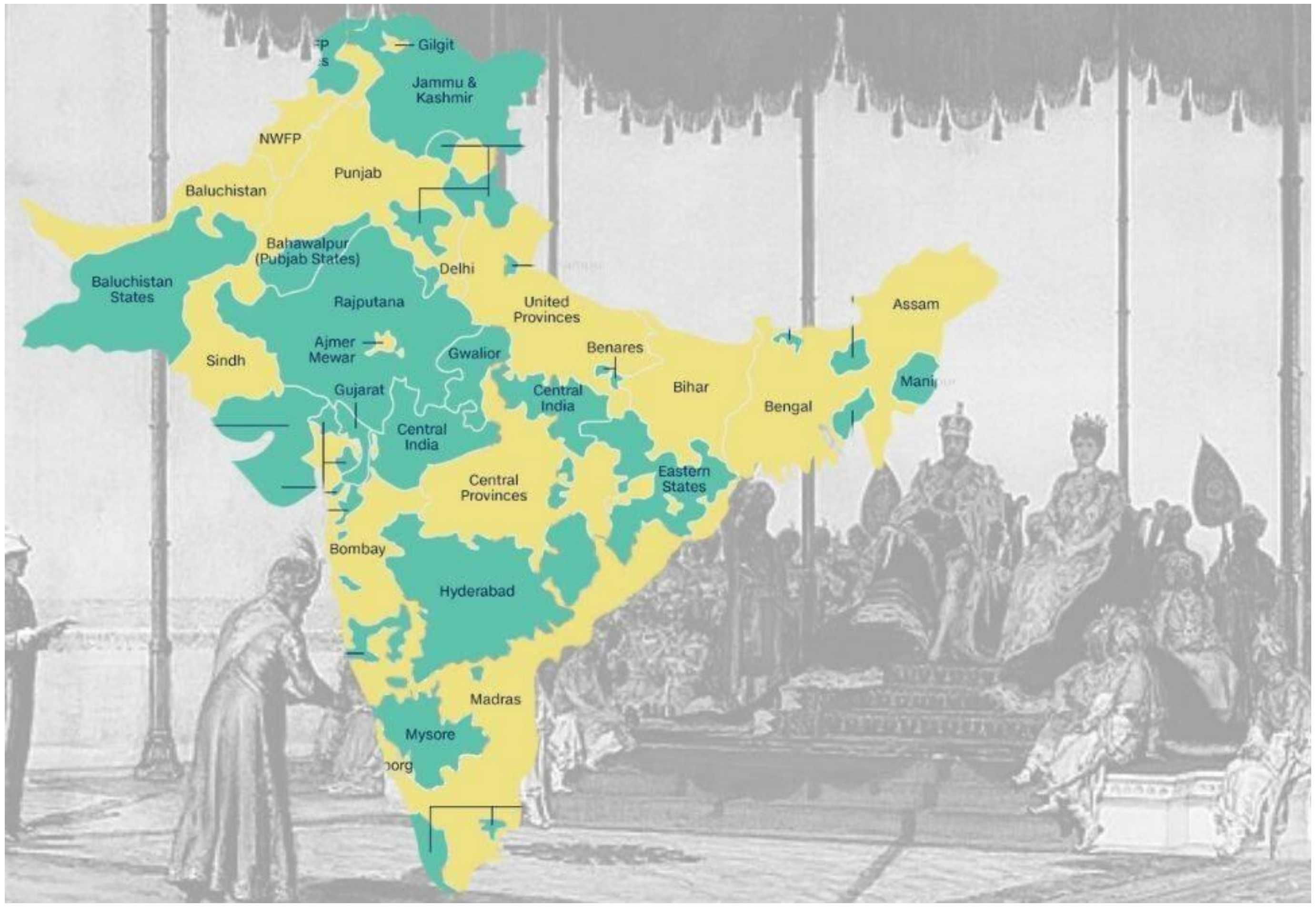

❖ The making of the Constituent Assembly

❖ संविधान सभा का गठन

The Constituent Assembly that came into being was dominated by one party: the Congress.

नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी।

Congress swept the general seats in the provincial elections, and the Muslim League captured most of the reserved Muslim seats.

प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं।

The Socialists too were initially unwilling to join, for they believed the Constituent Assembly was a creation of the British, and therefore incapable of being truly autonomous.

शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाक़ई स्वायत्त होना असंभव है।

In effect, therefore, 82 per cent of the members of the Constituent Assembly were also members of the Congress.

इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82 प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे।

The Congress however was not a party with one voice.

परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे।

Some members were inspired by socialism while others were defenders of landlordism. Some were close to communal parties while others were assertively secular.

कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य ज़मींदारी के हिमायती थे। कुछ साम्प्रदायिक दलों के करीब थे लेकिन कई पक्के धर्मनिर्पेक्ष।

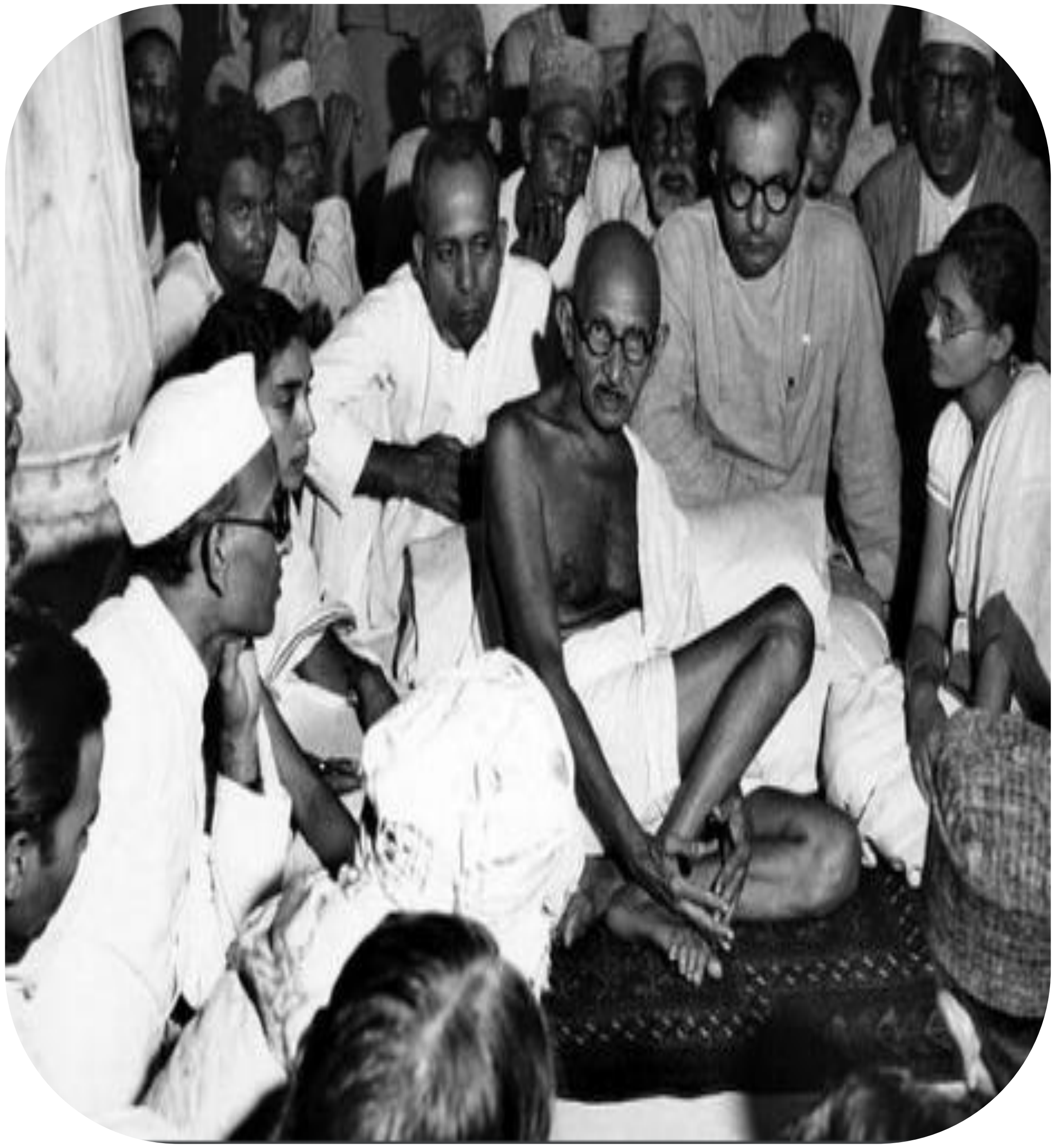

Through the national movement Congress members had learnt to debate their ideas in public and negotiate their differences. Within the Constituent Assembly too, Congress members did not sit quiet.

राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद–विवाद करना और मत–भेदों पर बात–चीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ एसा ही रुख़ अपनाया।

The discussions within the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the public.

संविधान सभा में हुई चर्चाएँ जनमत से भी प्रभावित होती थीं।

Criticisms and counter-criticisms in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on specific issues.

इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था।

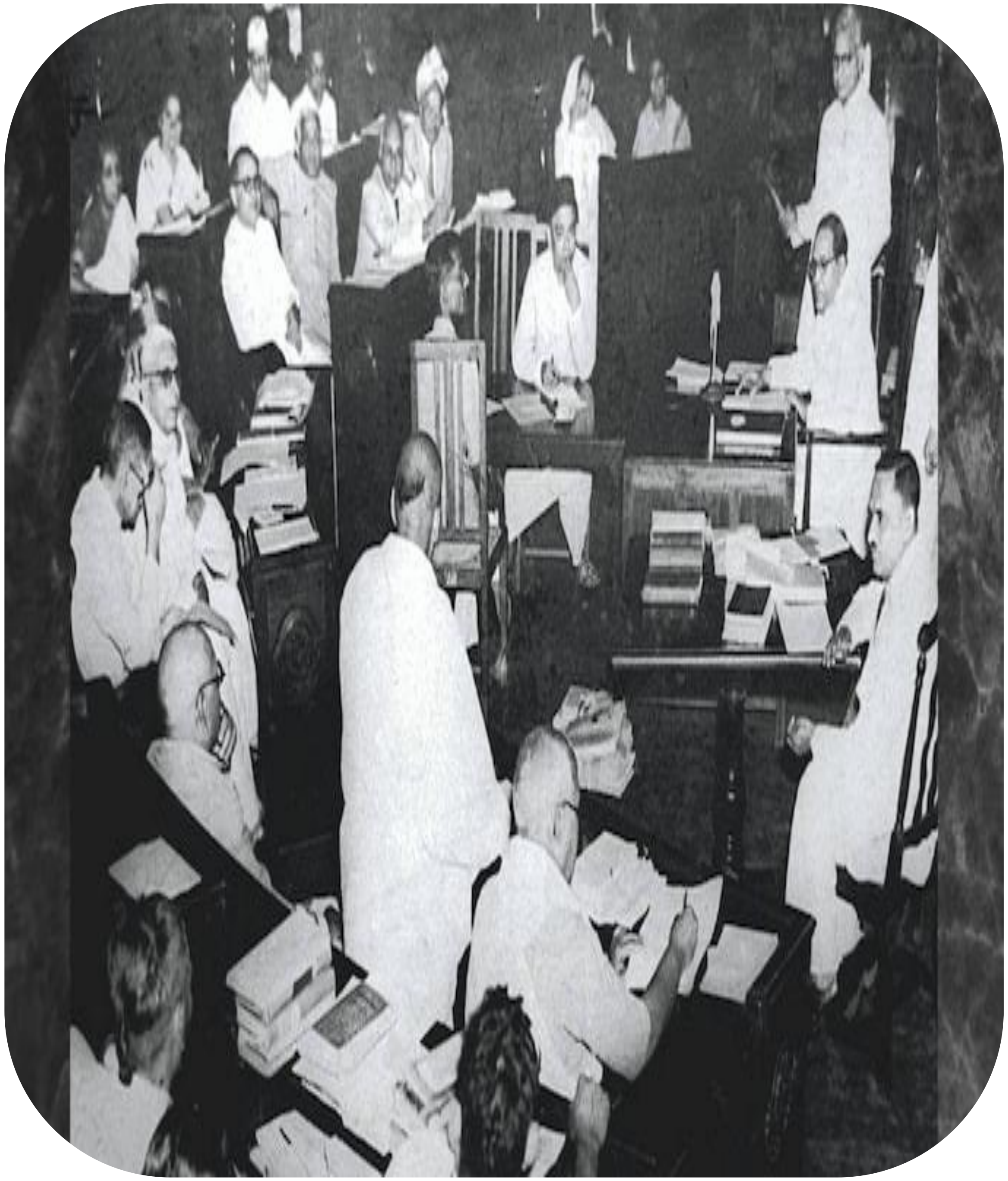

Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue, religious minorities asked for special safeguards, while dalits demanded an end to all caste oppression and reservation of seats in government bodies.

कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की माँग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति–शोषण के अंत की माँग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे।

❖ The dominant voices

❖ मुख्य आवाज़ें

Three were representatives of the Congress, namely, Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel and Rajendra Prasad.

इन छह में से तीन – जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद – कांग्रेस के सदस्य थे।

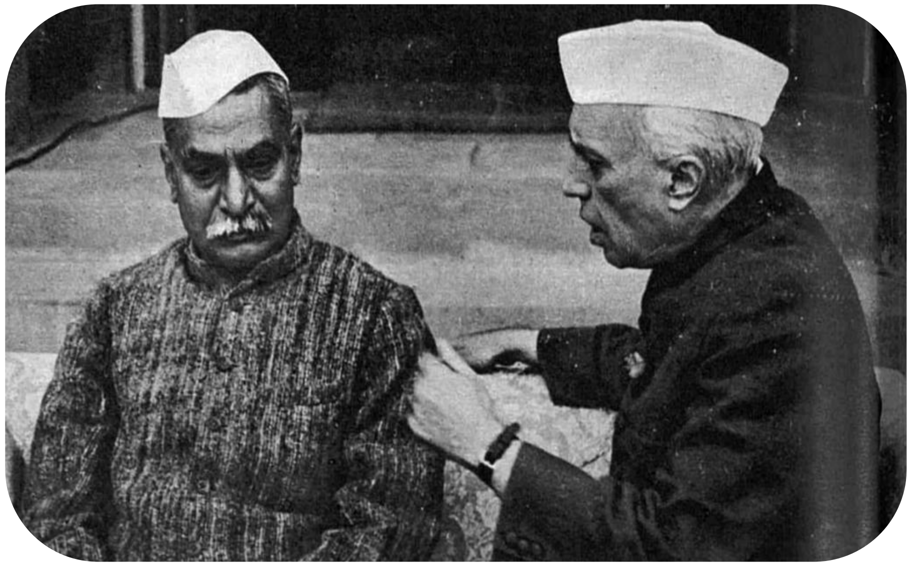

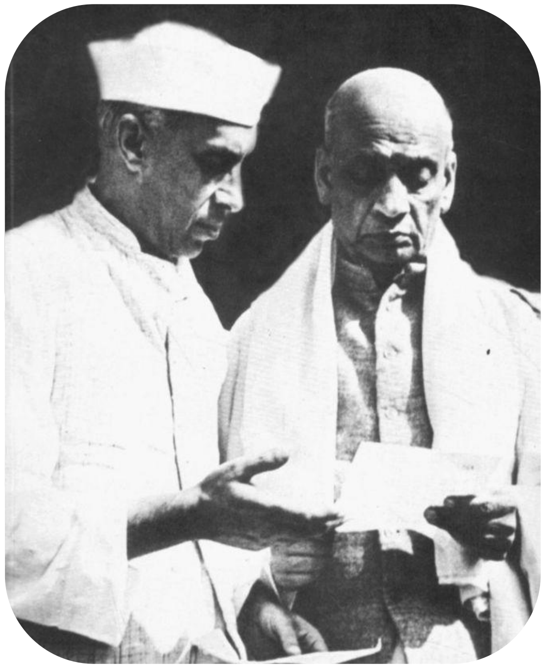

FRAMING THE CONSTITUTION
THE BEGINNING OF A NEW ERA

संविधान का निर्माण
एक नए युग की शुरुआत

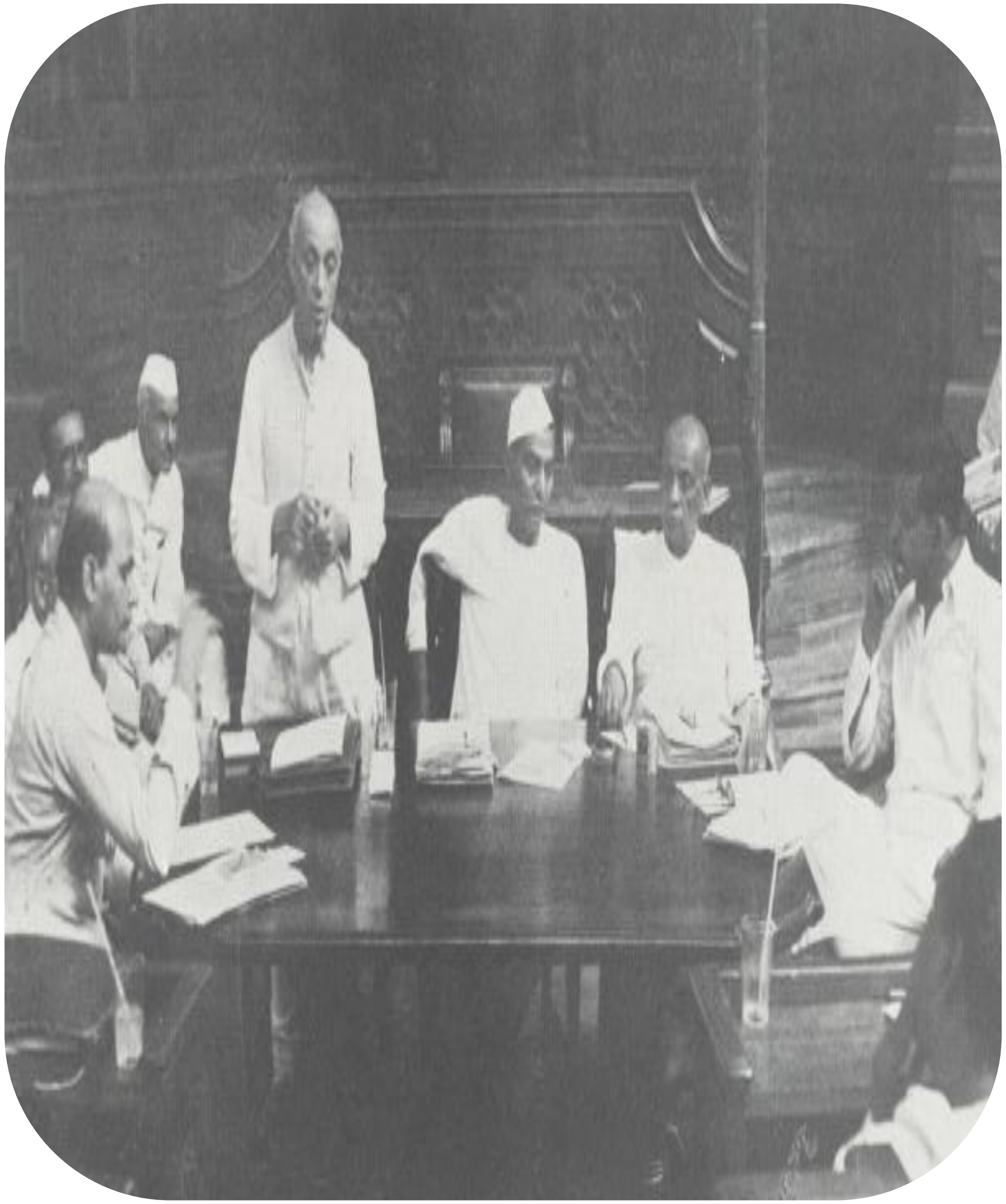

It was Nehru who moved the crucial "Objectives Resolution", as well as the resolution proposing that the National Flag of India be a "horizontal tricolour of saffron, white and dark green in equal proportion", with a wheel in navy blue at the centre.

एक निर्णायक प्रस्ताव, "उद्देश्य प्रस्ताव" को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज "केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की तीन बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा" झंडा होगा जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा।

Patel, on the other hand, worked mostly behind the scenes, playing a key role in the drafting of several reports, and working to reconcile opposing points of view.

पटेल मुख्य रूप से परदे के पीछे कई महत्त्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

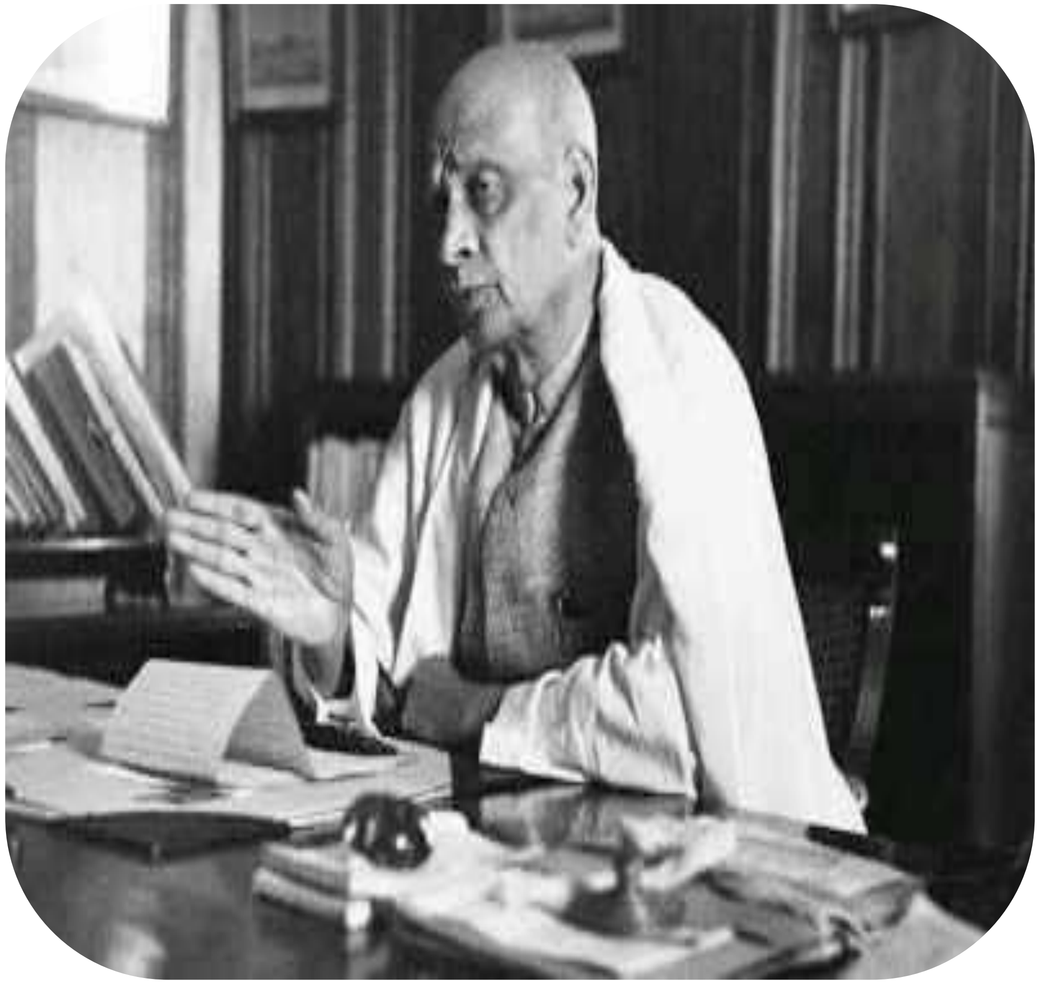

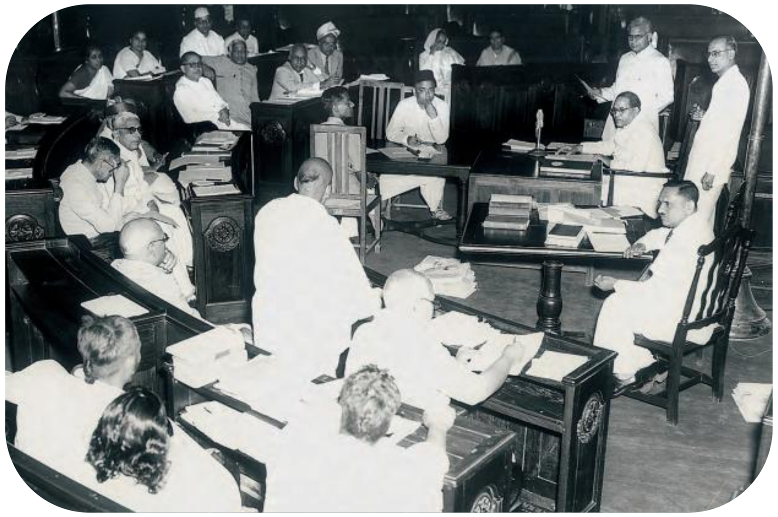

बी.आर. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं।

Besides this Congress trio, a very important member of the Assembly was the lawyer and economist B.R. Ambedkar.

कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री बी.आर. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्त्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे।

In this capacity, he served as Chairman of the Drafting Committee of the Constitution.

इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया।

Serving with him were two other lawyers, K.M. Munshi from Gujarat and Alladi Krishnaswamy Aiyar from Madras, both of whom gave crucial inputs in the drafting of the Constitution.

उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के के. एम. मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

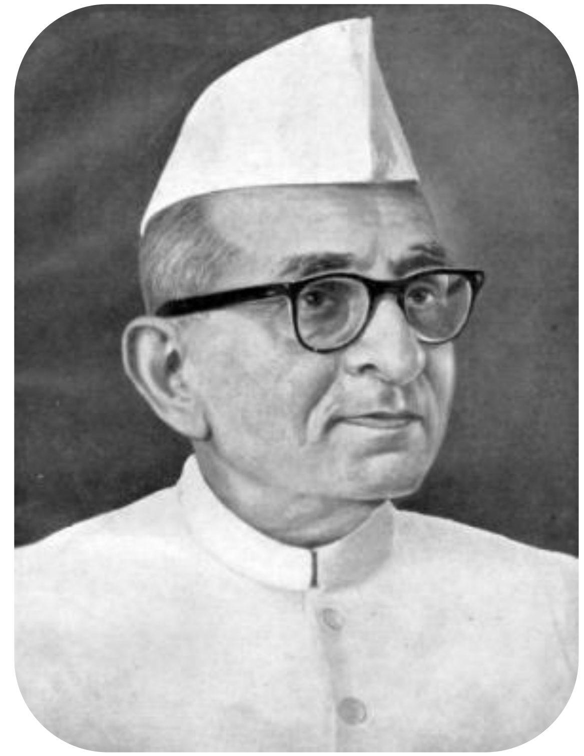

These six members were given vital assistance by two civil servants. One was B. N. Rau, Constitutional Advisor to the Government of India, who prepared a series of background papers based on a close study of the political systems obtaining in other countries.

इन छह सदस्यों को दो प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्त्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक बी.एन. राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे।

The other was the Chief Draughtsman, S. N. Mukherjee, who had the ability to put complex proposals in clear legal language.

दूसरे अधिकारी एस.एन मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे।

The members of the Constituent Assembly were eloquent in expressing their sometimes very divergent points of view.

संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफ़ाई से पेश किए थे।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

In their presentations we can discern many conflicting ideas of India – of what language Indians should speak, of what political and economic systems the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold or disavow.

उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं: देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएँ अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं – इन सभी प्रश्नों पर भी।

संविधान सभा का अधिवेशन।
सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएँ से दूसरे स्थान पर बैठे हैं।

❖ The Vision of the Constitution

❖ संविधान की दृष्टि

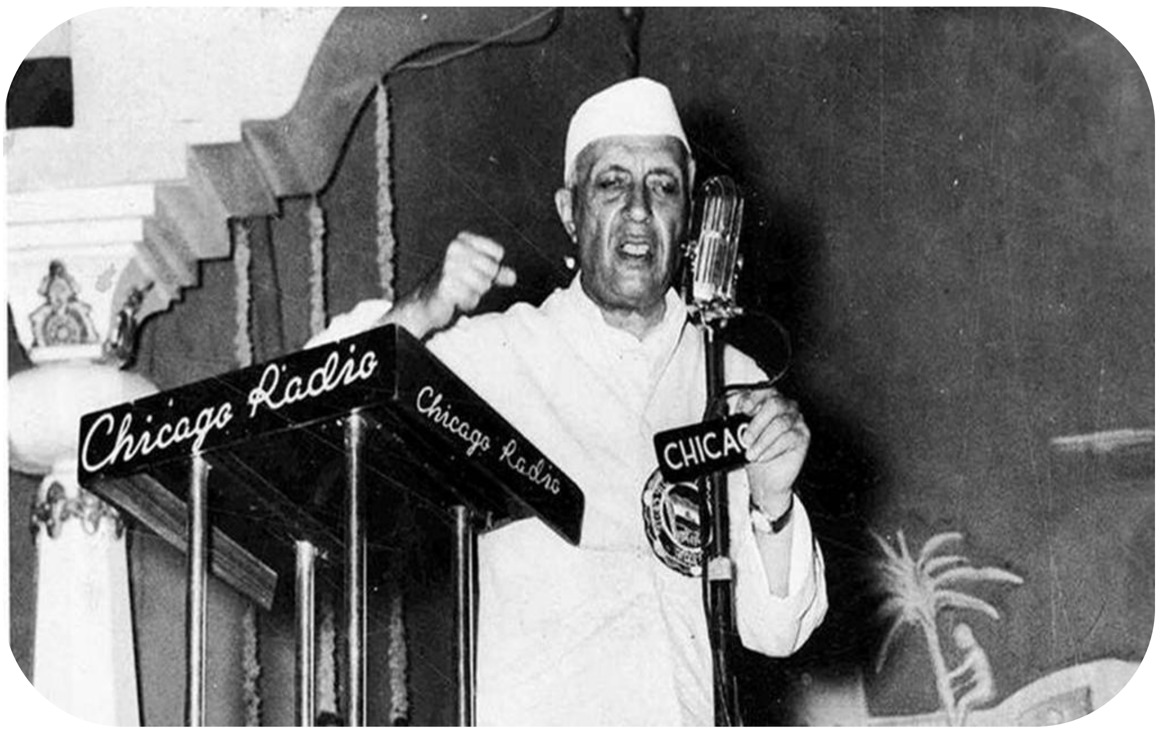

On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the "Objectives Resolution" in the Constituent Assembly.

13 दिसंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ''उद्देश्य प्रस्ताव'' पेश किया।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

It was a momentous resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of Independent India, and provided the framework within which the work of constitution-making was to proceed.

यह एक एतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ़्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कायं आगे बढ़ना था।

संविधान सौंपते हुए बी.आर. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक-दूसरे को बधाई देते हुए।

❖ **"We are not going just to copy"**

This is what Jawaharlal Nehru said in his famous speech of 13 December 1946 :

❖"हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं"

13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था :

My mind goes back to the various Constituent Assemblies that have gone before and of what took place at the making of the great American nation when the fathers of that nation met and fashioned out a Constitution which has stood the test of so many years, more than a century and a half, and of the great nation which has resulted, which has been built up on the basis of that Constitution.

मेरे ज़हन में बार–बार वे सारी संविधान सभाएँ आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का खयाल आ रहा है जहां राष्ट्र–निर्माताओं ने एक एसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, डेढ़ सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है।

My mind goes back to that mighty revolution which took place also over 150 years ago and to that Constituent Assembly that met in that gracious and lovely city of Paris which has fought so many battles for freedom, to the difficulties that that Constituent Assembly had and to how the King and other authorities came in its way, and still it continued.

इसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के य सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं।

The House will remember that when these difficulties came and even the room for a meeting was denied to the then Constituent Assembly, they betook themselves to an open tennis court and met there and took the oath, which is called the Oath of the Tennis Court, that they continued meeting in spite of Kings, in spite of the others, and did not disperse till they had finished the task they had undertaken.

सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आईं और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी जिसे 'टेनिस कोर्ट की शपथ' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखीं और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था।

Well, I trust that it is in that solemn spirit that we too are meeting here and that we, too, whether we meet in this chamber or other chambers, or in the fields or in the market-place, will go on meeting and continue our work till we have finished it.

मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहां इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाज़ार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे।

Then my mind goes back to a more recent revolution which gave rise to a new type of State, the revolution that took place in Russia and out of which has arisen the Union of the Soviet Socialist Republics, another mighty country which is playing a tremendous part in the world, not only a mighty country but for us in India, a neighbouring country.

इसके साथ ही मुझे हाल की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है।

So our mind goes back to these great examples and we seek to learn from their success and to avoid their failures. Perhaps we may not be able to avoid failures because some measure of failure is inherent in human effort. Nevertheless, we shall advance, I am certain, in spite of obstructions and difficulties, and achieve and realise the dream that we have dreamt so long ...

य सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है हम उन्ही विफलताओं से बचने में सफल न हो पाएँ क्योंकि किसी भी इनसानी कोशिश में थोड़ी-बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है। परंतु, मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ंगे और उस सपने को प्राप्त व साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं...।

We say that it is our firm and solemn resolve to have an independent sovereign republic. India is bound to be sovereign, it is bound to be independent and it is bound to be a republic … Now, some friends have raised the question: "Why have you not put in the word 'democratic' here.?" Well, I told them that it is conceivable, of course, that a republic may not be democratic but the whole of our past is witness to this fact that we stand for democratic institutions.

हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है। इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है...। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है : "आपने यहां 'लोकतांत्रिक' शब्द क्यों नहीं रखा।" मैंने उन्हें कहा है कि निस्संदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं।

Obviously we are aiming at democracy and nothing less than a democracy. What form of democracy, what shape it might take is another matter. The democracies of the present day, many of them in Europe and elsewhere, have played a great part in the world's progress. Yet it may be doubtful if those democracies may not have to change their shape somewhat before long if they have to remain completely democratic. We are not going just to copy,

स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल–सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है? आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभायो है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं। परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल–सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती।

I hope, a certain democratic procedure or an institution of a so-called democratic country. We may improve upon it. In any event whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of our people and be acceptable to them. We stand for democracy. It will be for this House to determine what shape to give to that democracy, the fullest democracy, I hope.

मैं आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल, किसी भी सूरत में, हम यहां जैसी चाहे सरकार बनाएँ, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य ज़रूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र, पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा।

The House will notice that in this Resolution, although we have not used the word "democratic" because we thought it is obvious that the word "republic" contains that word and we did not want to use unnecessary words and redundant words, but we have done something much more than using the word. We have given the content of democracy in this Resolution and not only the content of democracy but the content, if I may say so, of economic democracy in this Resolution.

सदन इस बात को देख सकता है यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने "लोकतांत्रिक" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक ही है कि "गणराज्य" शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है।

Others might take objection to this Resolution on the ground that we have not said that it should be a Socialist State. Well, I stand for Socialism and, I hope, India will stand for Socialism and that India will go towards the constitution of a Socialist State and I do believe that the whole world will have to go that way.

CONSTITUENT ASSEMBLY DEBATES (CAD), VOL.I

अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। यहां मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूं और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा।

संविधान सभा बहस, खंड 1

The momentous nature of the Indian project was emphasised by linking it to revolutionary moments in the past.

वह भारतीय संघर्ष के एतिहासिक महत्त्व को अतीत के क्रांतिकारिक क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं।

But Nehru was not suggesting that those events were to provide any blueprint for the present; or that the ideas of those revolutions could be mechanically borrowed and applied in India.

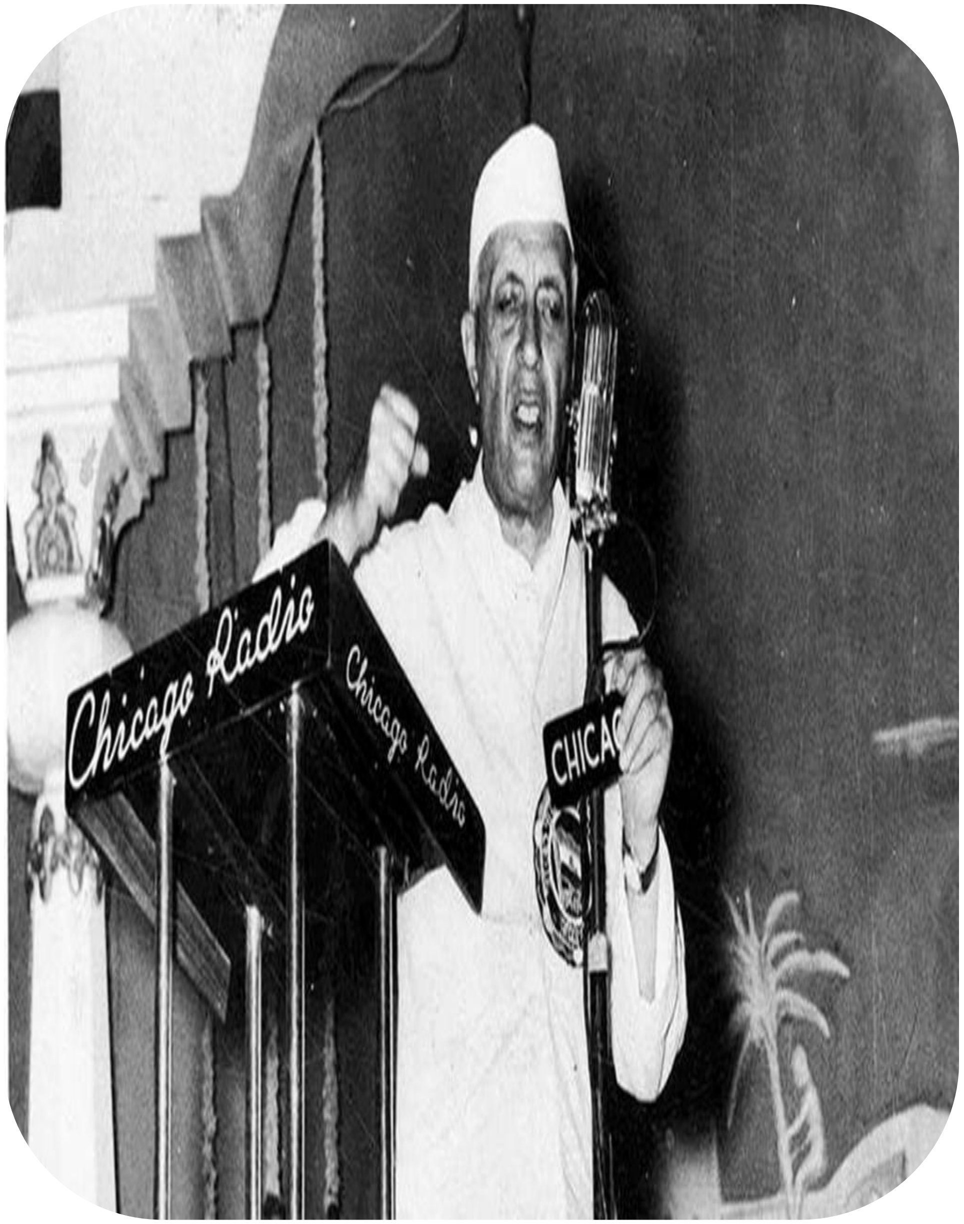

लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए; या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे-विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है।

He did not define the specific form of democracy, and suggested that this had to be decided through deliberations. And he stressed that the ideals and provisions of the constitution introduced in India could not be just derived from elsewhere. "We are not going just to copy", he said.

वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं'।

The system of government established in India, he declared, had to "fit in with the temper of our people and be acceptable to them".

उनके शब्दों में, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह 'हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए।'

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

The objective of the Indian Constitution would be to fuse the liberal ideas of democracy with the socialist idea of economic justice, and re-adapt and re-work all these ideas within the Indian context.

भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक–दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए।

❖ The will of the people

❖ लोगों की इच्छा

A Communist member, Somnath Lahiri saw the dark hand of British imperialism hanging over the deliberations of the Constituent Assembly.

संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था।

An interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could only operate under the directions of the Viceroy and the British Government in London.

जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था।

अंतरिम सरकार के सदस्य

प्रथम पंक्ति (बाएँ से दाएँ) : बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाक़त अली ख़ान, वल्लभ भाई पटेल, आई.आई. चुंद्रीगर, आसफ अली, सी.एच. भाभा।

द्वितीय पंक्ति (बाएँ से दाएँ) : जगजीवन राम, गज़नफर अली ख़ान, राजेन्द्र प्रसाद, अब्दुर निश्तर।

❖ **"That is very good, Sir – bold words, noble words"**

Somnath Lahiri said: Well, Sir, I must congratulate Pandit Nehru for the fine expression he gave to the spirit of the Indian people when he said that no imposition from the British will be accepted by the Indian people.

❖ **"बहुत अच्छा महोदय – साहसिक शब्द, उदात्त शब्द"**

सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था : महोदय मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कह कर भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेज़ों द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे।

Imposition would be resented and objected to, he said, and he added that if need be we will walk the valley of struggle. That is very good, Sir – bold words, noble words.

उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय – साहसिक शब्द, उदात्त शब्द।

But the point is to see when and how are you going to apply that challenge. Well, Sir, the point is that the imposition is here right now. Not only has the British Plan made any future Constitution … dependent on a treaty satisfactory to the Britisher but it suggests that for every little difference you will have to run to the Federal Court or dance attendance there in England; or to call on the British Prime Minister Clement Attlee or someone else.

परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है... जो अंग्रेज़ों की संतुष्टि पर आश्रित होगा बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा; या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या किसी और के दरवाज़े पर दस्तक देनी होगी।

Not only is it a fact that this Constituent Assembly, whatever plans we may be hatching, we are under the shadow of British guns, British Army, their economic and financial stranglehold – which means that the final power is still in the British hands and the question of power has not yet been finally decided, which means the future is not yet completely in our hands.

केवल यही सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाएँ यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साय में है – इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है।

Not only that, but the statements made by Attlee and others recently have made it clear that if need be, they will even threaten you with division entirely. This means, Sir, there is no freedom in this country. As Sardar Vallabh Bhai Patel put it some days ago, we have freedom only to fight among ourselves. That is the only freedom we have got ...

इतना ही नहीं, हाल ही में एटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय इसका आशय यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था, हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है। हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है...।

Therefore, our humble suggestion is that it is not a question of getting something by working out this Plan but to declare independence here and now and call upon the Interim Government, call upon the people of India, to stop fratricidal warfare and look out against its enemy, which still has the whip hand, the British Imperialism – and go together to fight it and then resolve our claims afterwards when we will be free.

CAD, VOL.I

इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहां सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं बल्कि यहां और अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार, भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखें, जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है, वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें – और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़ें और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूँढ सकते हैं।

संविधान सभा बहस, खंड 1

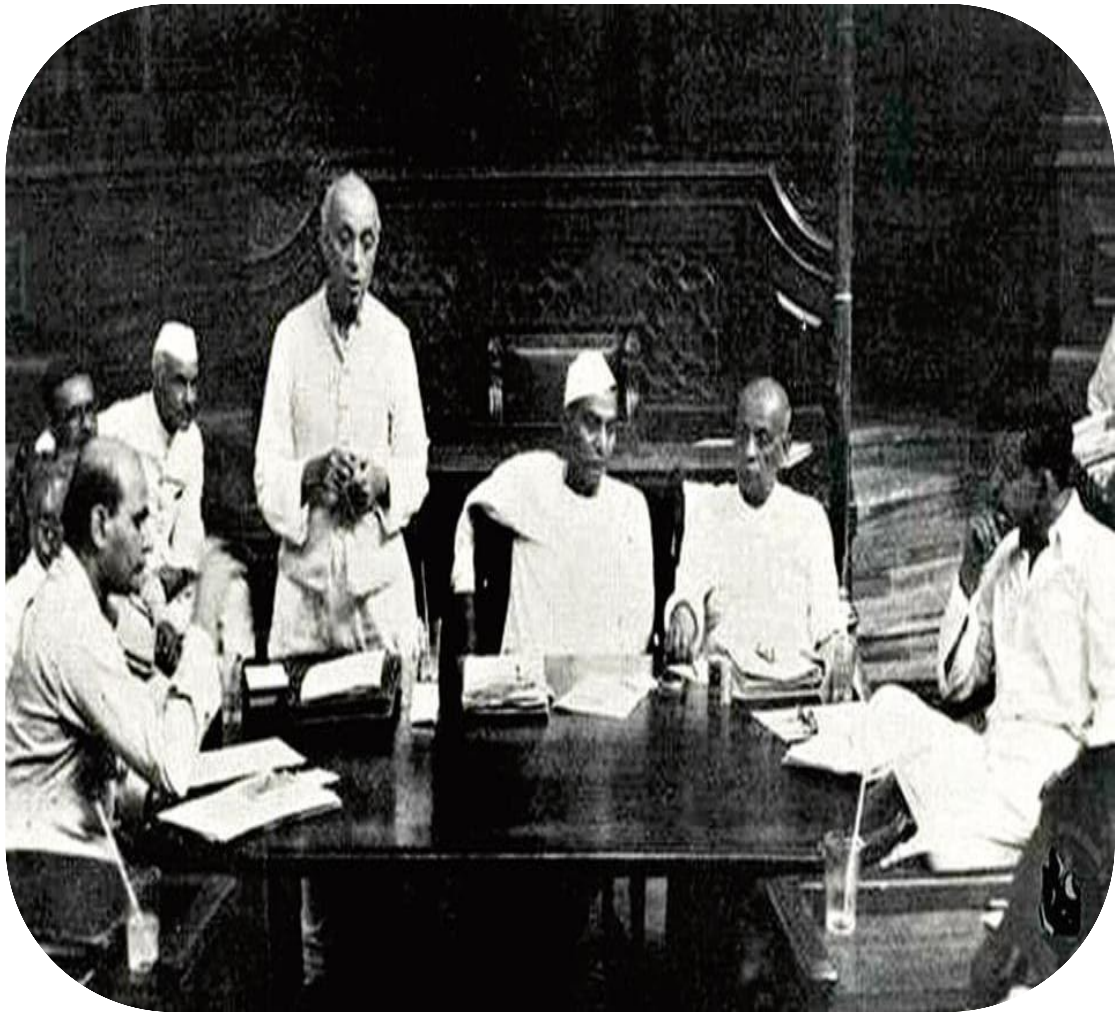

The Constituent Assembly was expected to express the aspirations of those who had participated in the movement for independence.

संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था।

Democracy, equality and justice were ideals that had become intimately associated with social struggles in India since the nineteenth century.

लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श उन्नीसवीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड चुके थे।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

The national movement against a government that was seen as oppressive and illegitimate was inevitably a struggle for democracy and justice, for citizens' rights and equality.

एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था।

A number of Acts were passed (1909, 1919 and 1935), gradually enlarging the space for Indian participation in provincial governments.

प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून (1909, 1919 और 1935) पारित किए गए।

While the earlier constitutional experiments were in response to the growing demand for a representative government, the Acts (1909, 1919 and 1935) were not directly debated and formulated by Indians.

इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती माँग के जवाब में थे जबकि विभिन्न कानूनों (1909, 1919 और 1935) को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी।

The legislatures elected under the 1935 Act operated within the framework of colonial rule, and were responsible to the Governor appointed by the British.

1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएँ औपनिवेशिक शासन के ढाँचे में काम कर रही थीं और अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायो थी।

एडविन मोंटेग्यू (बाएँ) ने ही 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी जिनके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू हुई थी।

❖ Defining Rights

❖ अधिकारों का निर्धारण

How were the rights of individual citizens to be defined? Were the oppressed groups to have any special rights? What rights would minorities have? Who, in fact, could be defined as a minority?

नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएँ? क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? वास्ताव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए?

It was clear that there were no collectively shared answers to any of these questions. The answers were evolved through the clash of opinions and the drama of individual encounters.

यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई एसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे।

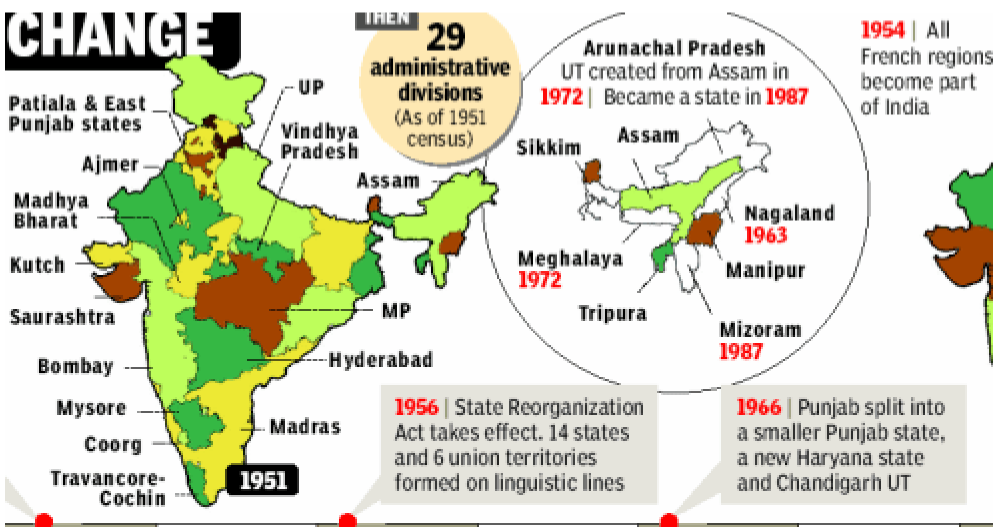

This was no easy task. With the anticipation of Independence, different groups expressed their will in different ways, and made different demands. These would have to be debated and conflicting ideas would have to be reconciled, before a consensus could be forged.

यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे–जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग–अलग तरह से अपनी इच्छाएँ व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना ज़रूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुँचना और एक आम सहमति पर पहुँचना ज़रूरी था।

❖ The problem with separate electorates

❖ पृथक निर्वाचिका की समस्या

1946 के जाड़ों में भारतीय नेता एटली के साथ वार्ता करने लंदन गए। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। (बाएँ से दाएँ – लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, पैथिक-लॉरेंस)

This demand for separate electorates provoked anger and dismay amongst most nationalists. In the passionate debate that followed, a range of arguments were offered against the demand.

पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गरमागरम बहस चली उसमें इस माँग के खिलाफ तरह-तरह के तर्क दिए गए।

Most nationalists saw separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people.

ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बाँटने के लिए अंग्रेज़ों की चाल थी।

Partition had made nationalists fervently opposed to the idea of separate electorates. They were haunted by the fear of continued civil war, riots and violence.

विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी।

Separate electorates was a "poison that has entered the body politic of our country", declared Sardar Patel. It was a demand that had turned one community against another, divided the nation, caused bloodshed, and led to the tragic partition of the country.

सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक एसा "विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है।" उनकी राय में यह एक एसी माँग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी।

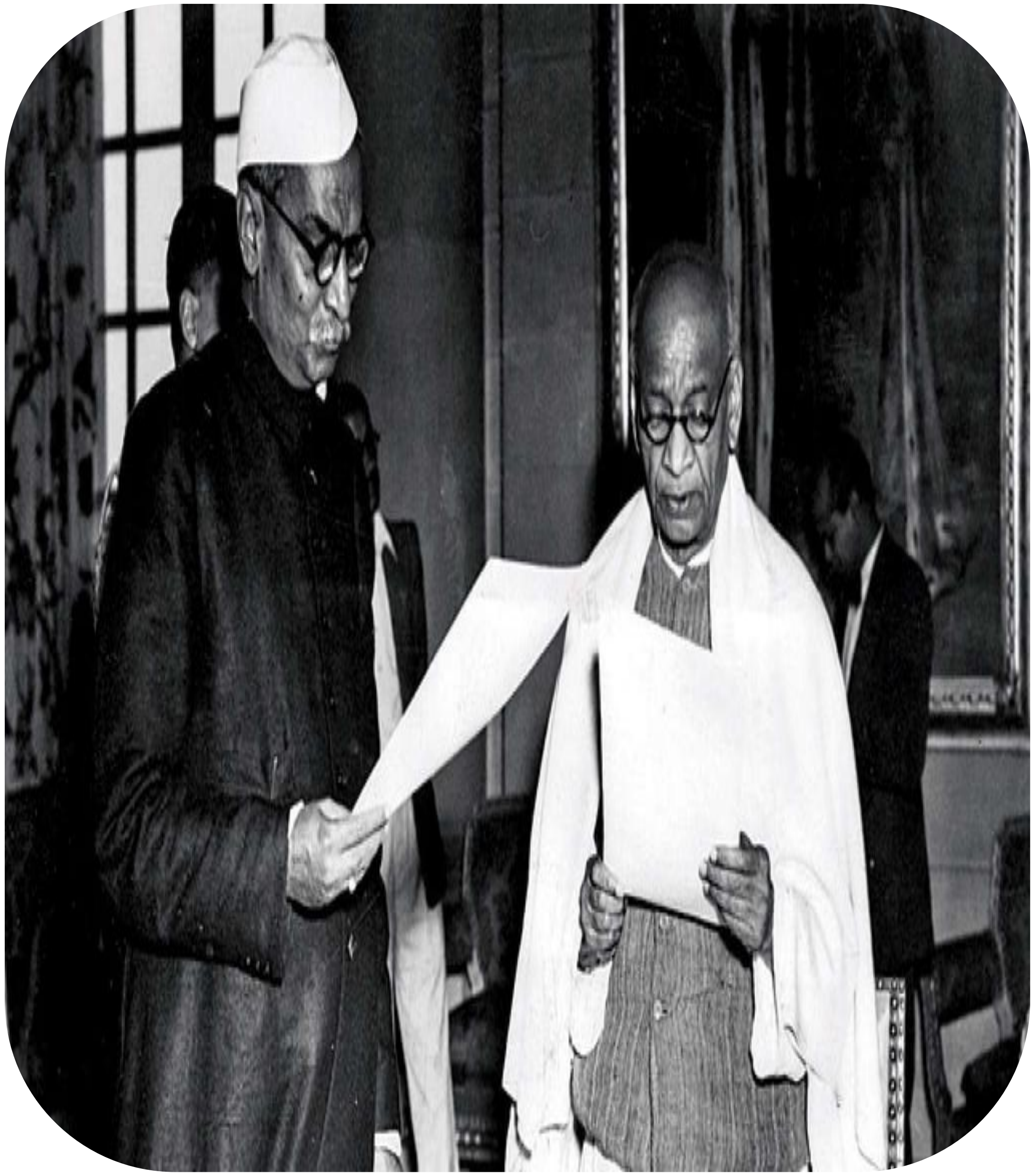

❖ **"The British element is gone, but they have left the mischief behind"**

Sardar Vallabh Bhai Patel said: It is no use saying that we ask for separate electorates, because it is good for us. We have heard it long enough. We have heard it for years, and as a result of this agitation we are now a separate nation ...

❖ "अंग्रेज़ तो चले गए, मगर जाते–जाते शरारत का बीज बो गए"

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था : यह दोहराने का कोई मतलब नहीं है कि हम पृथक निर्वाचिका की माँग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है। यह बात हम बहुत समय से सुन रहे हैं। हम सालों से यह सुन रहे हैं और इसी आंदोलन के कारण अब हम एक विभाजित राष्ट्र हैं...।

Can you show me one free country where there are separate electorates? If so, I shall be prepared to accept it. But in this unfortunate country if this separate electorate is going to be persisted in, even after the division of the country, woe betide the country; it is not worth living in. Therefore, I say, it is not for my good alone, it is for your own good that I say it, forget the past. One day, we may be united ...

क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक निर्वाचिका हो? अगर आप मुझे दिखा दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा। लेकिन अगर इस अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी गई तो यहां जीने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सिर्फ मेरे भले की बात नहीं है बल्कि आपका भला भी इसी में है कि हम अतीत को भूल जाएँ। एक दिन हम एकजुट हो सकते हैं...

The British element is gone, but they have left the mischief behind. We do not want to perpetuate that mischief. (Hear, hear). When the British introduced this element they had not expected that they will have to go so soon. They wanted it for their easy administration. That is all right. But they have left the legacy behind. Are we to get out of it or not?

CAD, VOL.V

अंग्रेज़ तो चले गए, मगर जाते–जाते शरारत का बीज बो गए हैं। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते। (सुनिए, सुनिए)। जब अंग्रेज़ों ने यह विचार पेश किया था तो उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्होंने तो अपने शासन की सुविधा के लिए यह किया था। खैर, कोई बात नहीं। मगर अब वे अपनी विरासत पीछे छोड गए हैं। अब हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं?

संविधान सभा बहस, खंड 5

Countering the demand for separate electorates, Govind Ballabh Pant declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities.

पृथक निर्वाचिकाओं की माँग का जवाब देते हुए गोविन्द वल्लभ पंत ने एलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है।

❖ **"I believe separate electorates will be suicidal to the minorities"**

During the debate on 27 August 1947, Govind Ballabh Pant said: I believe separate electorates will be suicidal to the minorities and will do them tremendous harm.

❖ "मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी।"

27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था : मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुँचाएगी।

If they are isolated for ever, they can never convert themselves into a majority and the feeling of frustration will cripple them even from the very beginning. What is it that you desire and what is our ultimate objective?

अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग-थलग कर दिया गया तो वे कभी भी खुद को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएँगे। निराशा का भाव शुरू से उन्हें अपंग बना देगा। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है?

Do the minorities always want to remain as minorities or do they ever expect to form an integral part of a great nation and as such to guide and control its destinies? If they do, can they ever achieve that aspiration and that ideal if they are isolated from the rest of the community? I think it would be extremely dangerous for them if they were segregated from the rest of the community and kept aloof in an air-tight compartment where they would have to rely on others even for the air they breath ... The minorities if they are returned by separate electorates can never have any effective voice.

CAD, VOL.II

क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं या वे भी एक दिन एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने और उसकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाता है और एसे हवाबंद कमरे में काटकर रखा जाता है जहां उन्हें हवा के लिए भी औरों पर निर्भर रहना पड़ेगा तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा...। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिकाओं से जीतकर आते रहे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएँगे।

संविधान सभा बहस, खंड **2**

By 1949, most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interests of the minorities. Instead Muslims needed to take an active part in the democratic process to ensure that they had a decisive voice in the political system.

1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके।

❖ **“There cannot be any divided loyalty”**

Govind Ballabh Pant argued that in order to become loyal citizens people had to stop focusing only on the community and the self:

❖ **“खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं”**

गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रख कर सोचने की आदत छोड़नी होगी :

For the success of democracy one must train himself in the art of self-discipline. In democracies one should care less for himself and more for others. There cannot be any divided loyalty.

लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम तथा औरों के लिए ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। यहां खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है।

All loyalties must exclusively be centred round the State. If in a democracy, you create rival loyalties, or you create a system in which any individual or group, instead of suppressing his extravagance, cares nought for larger or other interests, then democracy is doomed.

CAD, VOL.II

सारी निष्ठाएँ केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतिस्पर्धी निष्ठाएँ रख देते हैं या एसी व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या समूह अपने अपव्यय पर अंकुश लगाने की बजाय बृहत्तर या अन्य हितों की ज़रा भी परवाह नहीं करता, तो एसे लोकतंत्र का डूबना निश्चित है।

संविधान सभा बहस, खंड 2

❖ **"We will need much more than this Resolution"**

❖ **"केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है"**

While welcoming the Objectives Resolution, N.G. Ranga, a socialist who had been a leader of the peasant movement, urged that the term minorities be interpreted in economic terms.

उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए।

The real minorities for Ranga were the poor and the downtrodden. He welcomed the legal rights the Constitution was granting to each individual but pointed to its limits.

रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे–कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्यक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिह्नित किया।

It was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed. For this they needed protection. “They need props. They need a ladder,” said Ranga.

यह ज़रूरी था कि एसी परिस्थितियां बनाई जाएँ जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि, ‘उन्हें सहारों की ज़रूरत है। उन्हें एक सीढ़ी चाहिए’।

❖"The real minorities are the masses of this country"

Welcoming the Objectives Resolution introduced by Jawaharlal Nehru, N.G. Ranga said:

❖"जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है"

जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन.जी. रंगा ने कहा था :

Sir, there is a lot of talk about minorities. Who are the real minorities? Not the Hindus in the so-called Pakistan provinces, not the Sikhs, not even the Muslims. No, the real minorities are the masses of this country. These people are so depressed and oppressed and suppressed till now that they are not able to take advantage of the ordinary civil rights.

महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन हैं? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहां तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी-कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है।

What is the position? You go to the tribal areas. According to law, their own traditional law, their tribal law, their lands cannot be alienated. Yet our merchants go there, and in the so-called free market they are able to snatch their lands. Thus, even though the law goes against this snatching away of their lands, still the merchants are able to turn the tribal people into veritable slaves by various kinds of bonds, and make them hereditary bond-slaves.

स्थिति क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाइए। उनके अपने कानूनों, उनके जनजातीय कानूनों, उनकी ज़मीन को उनसे नहीं छीना जा सकता। लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं, और तथाकथित मुक्त बाज़ार के नाम पर उनकी ज़मीन छीन लेते हैं। भले ही कानून ज़मीन की इस बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी इन आदिवासियों को तरह–तरह के बंधनों में जकड़कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी–दर–पीढ़ी दासता के नर्क में ढकेल देते हैं।

Let us go to the ordinary villagers. There goes the money-lender with his money and he is able to get the villagers in his pocket. There is the landlord himself, the zamindar, and the malguzar and there are the various other people who are able to exploit these poor villagers.

आइए अब आम गाँव वालों को देख लेते हैं। वहां सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गाँव वालों को अपनी जेब में डाल लेता है। वहां ज़मींदार हैं और मालगुजार व अन्य लोग हैं जो इन गरीब देहातियों का शोषण करते हैं।

There is no elementary education even among these people. These are the real minorities that need protection and assurances of protection. In order to give them the necessary protection, we will need much more than this Resolution …

CAD, VOL.II

इन लोगों में मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा और सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है...।

संविधान सभा बहस, खंड **2**

Ranga also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly:

रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा :

One of the groups mentioned by Ranga, the tribals, had among its representatives to the Assembly the gifted orator Jaipal Singh. In welcoming the Objectives Resolution, Singh said:

रंगा ने आदिवासियों को भी एसे ही समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे ज़बरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था :

... as an Adibasi, I am not expected to understand the legal intricacies of the Resolution. But my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together.

... एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता होऊँगा। लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हममें से हरेक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए।

They had been dispossessed of the land they had settled, deprived of their forests and pastures, and forced to move in search of new homes. Perceiving them as primitive and backward, the rest of society had turned away from them, spurned them.

उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे, उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया, उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़र से देखता है।

Singh was not asking for separate electorates, but he felt that reservation of seats in the legislature was essential to allow tribals to represent themselves

जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था ज़रूरी है।

❖"We were suppressed for thousands of years"

❖"हमें हज़ारों साल तक दबाया गया है"

Some members of the Depressed Castes emphasised that the problem of the "Untouchables" could not be resolved through protection and safeguards alone. Their disabilities were caused by the social norms and the moral values of caste society.

दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि "अस्पृश्यों" (अछूतों) की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे–कानूनों और नैतिक मूल्य–मान्यताओं का हाथ है।

❖"We want removal of our social disabilities"

Dakshayani Velayudhan from Madras, argued:

What we want is not all kinds of safeguards. It is the moral safeguard which gives protection to the underdogs of this country ...

❖"हम अपनी सामाजिक अक्षमताओं को हटाना चाहते हैं"

मद्रास की दक्षायणी वेलायुधान की दलील थी :

हमें सब तरह की सुरक्षाएँ नहीं चाहिए। इस देश के कमज़ोरों को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए ...।

I refuse to believe that seventy million Harijans are to be considered as a minority … what we want is the … immediate removal of our social disabilities.'

CAD, VOL.I

मैं यह नहीं मान सकती कि सात करोड हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है...। जो हम चाहते हैं वह यह है... हमारी सामाजिक अपंगताओं का फौरन खात्मा।

संविधान सभा बहस, खंड 1

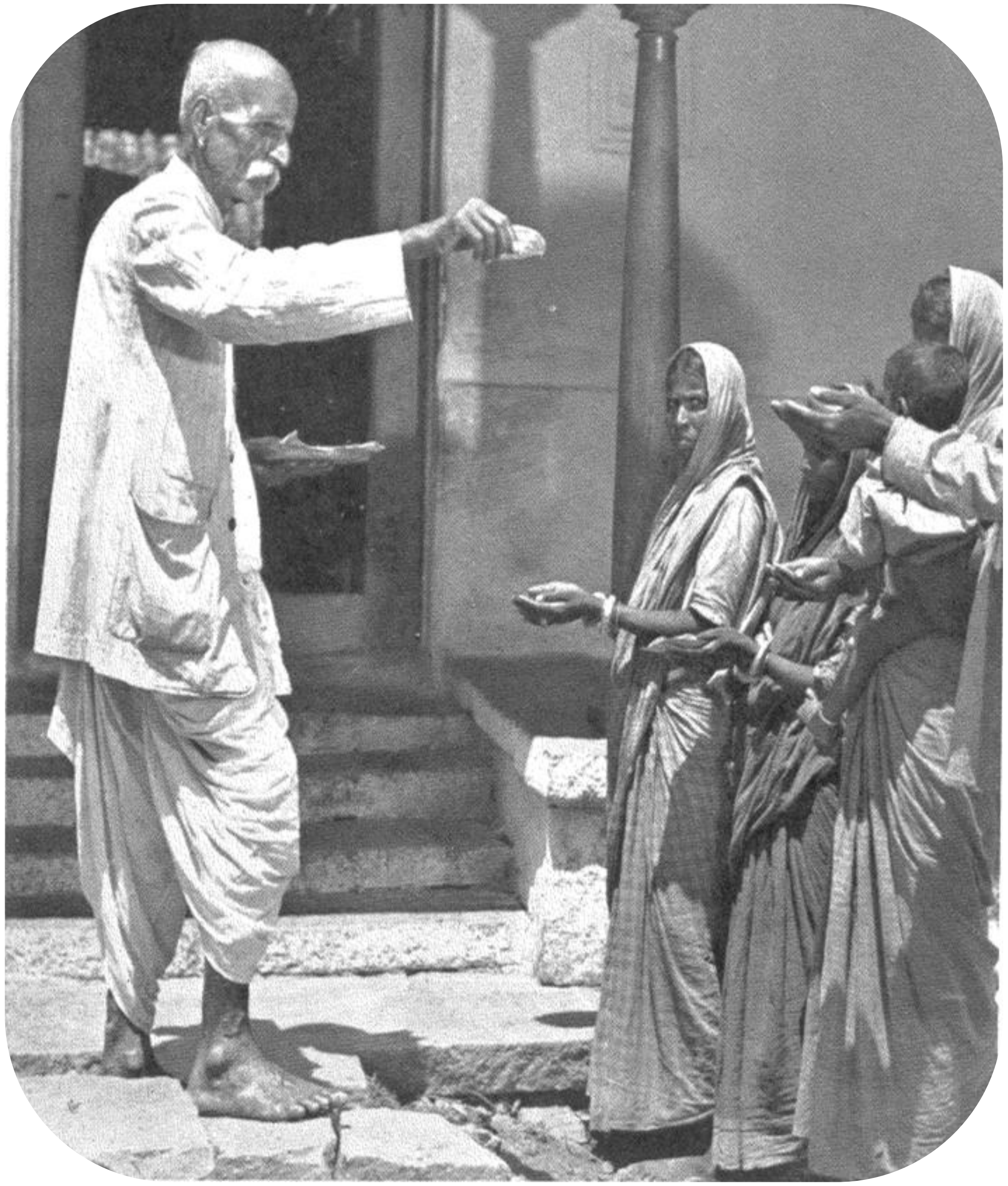

Society had used their services and labour but kept them at a social distance, refusing to mix with them or dine with them or allow them entry into temples.

समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है, अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने-मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता।

Nagappa pointed out that numerically the Depressed Castes were not a minority : they formed between 20 and 25 per cent of the total population.

नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं हैं। आबादी में उनका हिस्सा 20 – 25 प्रतिशत है।

They had no access to education, no share in the administration. Addressing the assembly, K.J. Khanderkar of the Central Provinces said:

उनके पास न तो शिक्षा तक पहुँच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जे. खाण्डेलकर ने कहा था :

We were suppressed for thousands of years. ... suppressed... to such an extent that neither our minds nor our bodies and now even our hearts work, nor are we able to march forward. This is the position.

हमें हज़ारों साल तक दबाया गया है। ... दबाया गया ... इस हद तक दबाया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भावशून्य हो चुका है। न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है।

❖ We have never asked for privileges

Hansa Mehta of Bombay demanded justice for women, not reserved seats, or separate electorates.

❖ हमने विशेषाधिकार कभी नहीं माँगे

बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की माँग की, आरक्षित सीटों की नहीं और न ही पृथक चुनाव क्षेत्र की :

We have never asked for privileges. What we have asked for is social justice, economic justice, and political justice. We have asked for that equality which alone can be the basis of mutual respect and understanding, without which real cooperation is not possible between man and woman.

हमने विशेषाधिकार कभी नहीं माँगे। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की माँग की है। हमने उस बराबरी की माँग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है।

After the Partition violence, Ambedkar too no longer argued for separate electorates. The Constituent Assembly finally recommended that untouchability be abolished, Hindu temples be thrown open to all castes, and seats in legislatures and jobs in government offices be reserved for the lowest castes.

बँटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की माँग छोड दी थी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए।

Many recognised that this could not solve all problems : social discrimination could not be erased only through constitutional legislation. There had to be a change in the attitudes within society. But the measures were welcomed by the democratic public.

बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएँ हल नहीं हो पाएँगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया।

❖ The Powers of the State

❖ राज्य की शक्तियां

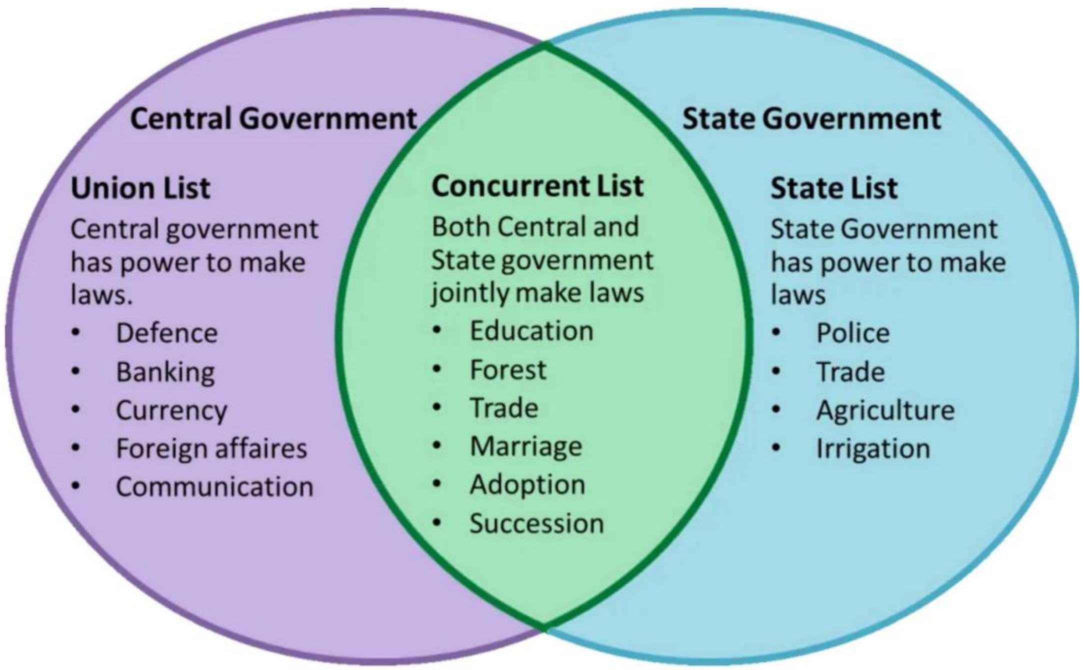

One of the topics most vigorously debated in the Constituent Assembly was the respective rights of the Central Government and the states.

संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए।

The Draft Constitution provided for three lists of subjects: Union, State, and Concurrent. The subjects in the first list were to be the preserve of the Central Government, while those in the second list were vested with the states. As for the third list, her e Centre and state shared responsibility.

संविधान के मसविदे में विषयों की तीन सूचियां बनाई गयो थीं : केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य, दोनों की साझा ज़िम्मेदारी थे।

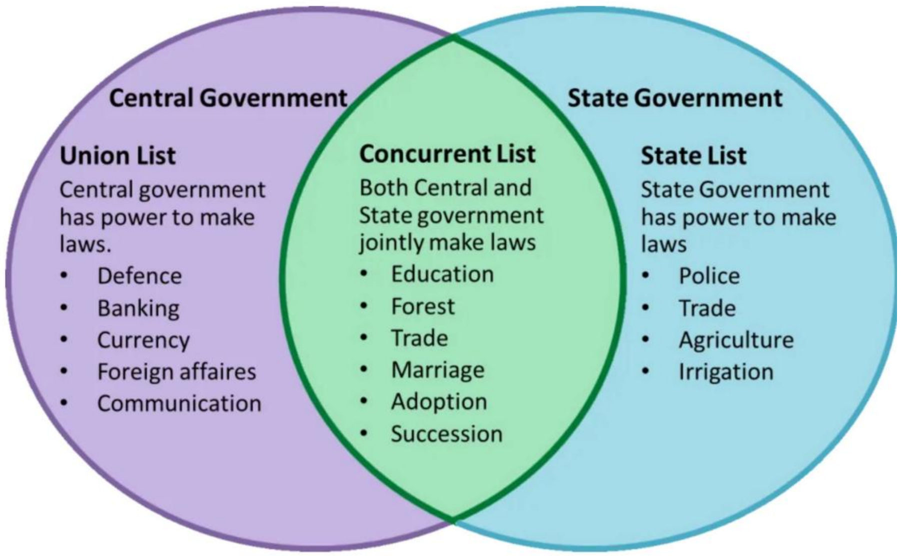

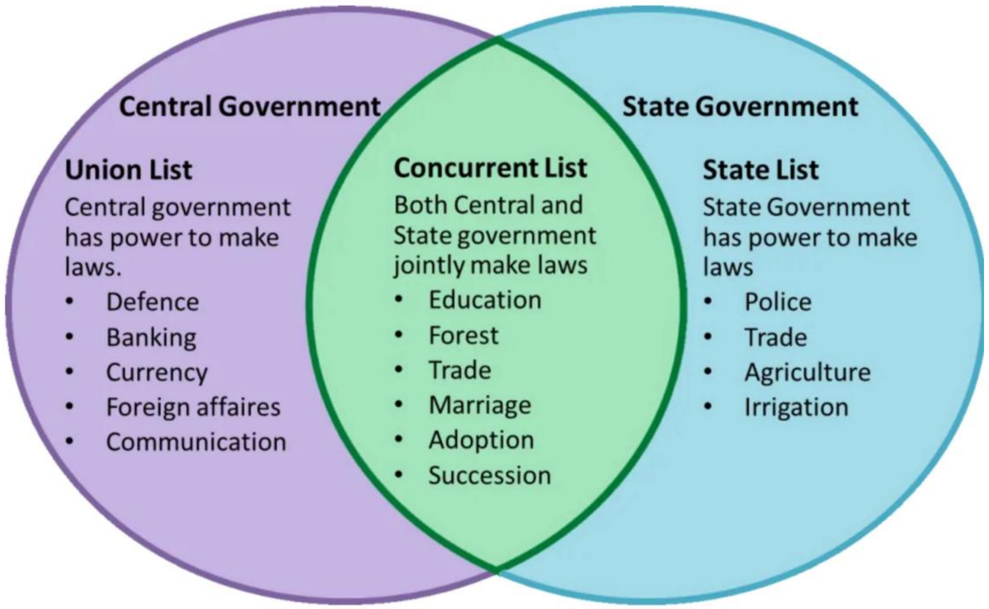

However , many more items were placed under exclusive Union control than in other federations, and more placed on the Concurrent list too than desired by the provinces.

परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए।

In the case of some taxes (for instance, customs duties and Company taxes) the Centre retained all the proceeds; in other cases (such as income tax and excise duties) it shared them with the states; in still other cases (for instance, estate duties) it assigned them wholly to the states.

कुछ करों (जैसे- सीमा शुल्क और कंपनी कर) से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई; कुछ अन्य मामलों में (जैसे - आय कर और आबकारी शुल्क) में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बाँट दी गई तथा अन्य मामलों से होने वाली आय (जैसे राज्य स्तरीय शुल्क) पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई।

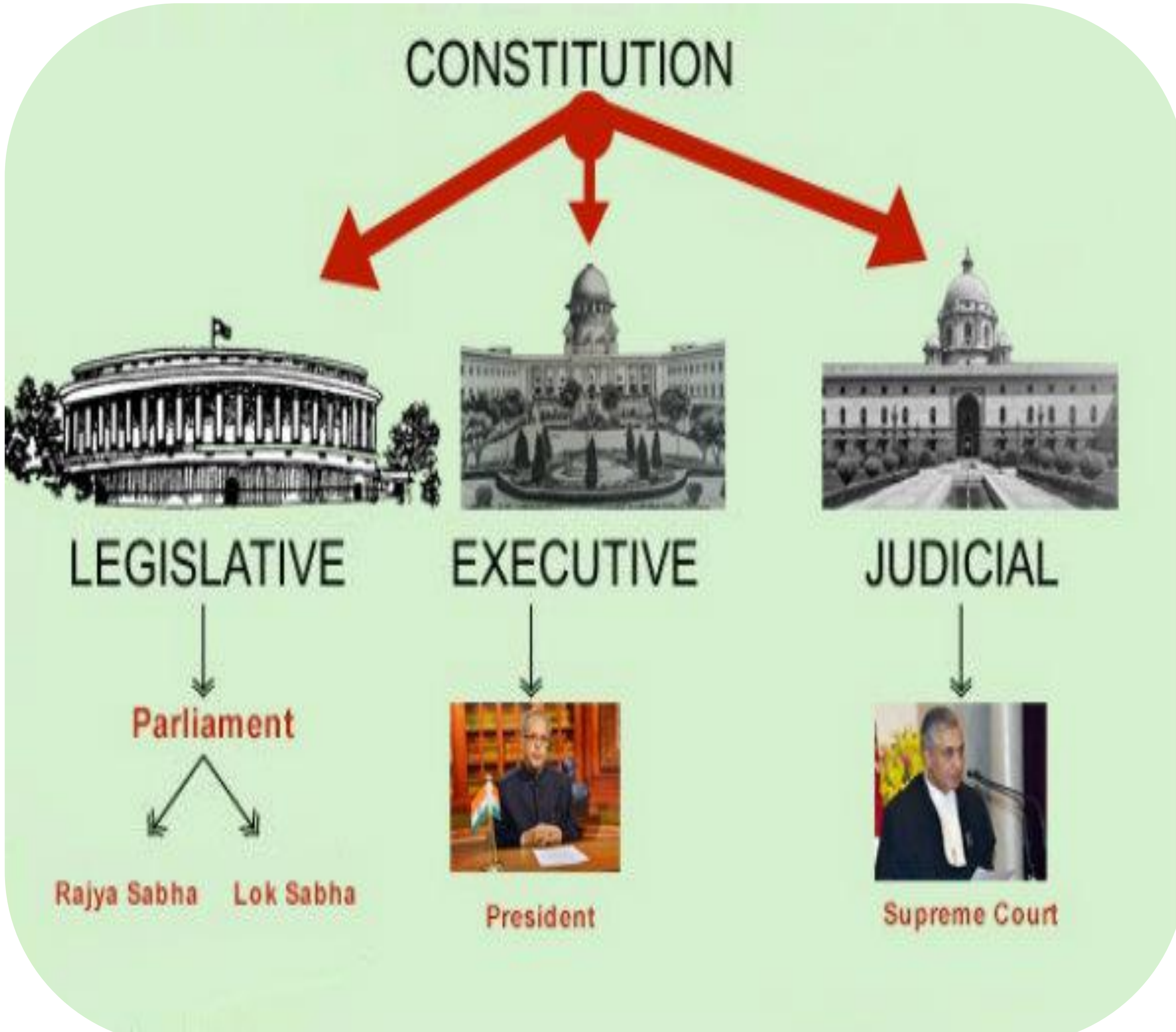

The states, meanwhile, could levy and collect certain taxes on their own: these included land and property taxes, sales tax, and the hugely profitable tax on bottled liquor.

राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए, वे ज़मीन और संपत्ति कर, ब्रिकी कर तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे।

❖ "The centre is likely to break"

❖ "केंद्र बिखर जाएगा"

The rights of the states were most eloquently defended by K. Santhanam from Madras. A reallocation of powers was necessary, he felt, to strengthen not only the states but also the Centre.

राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य केसन्तनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण ज़रूरी है।

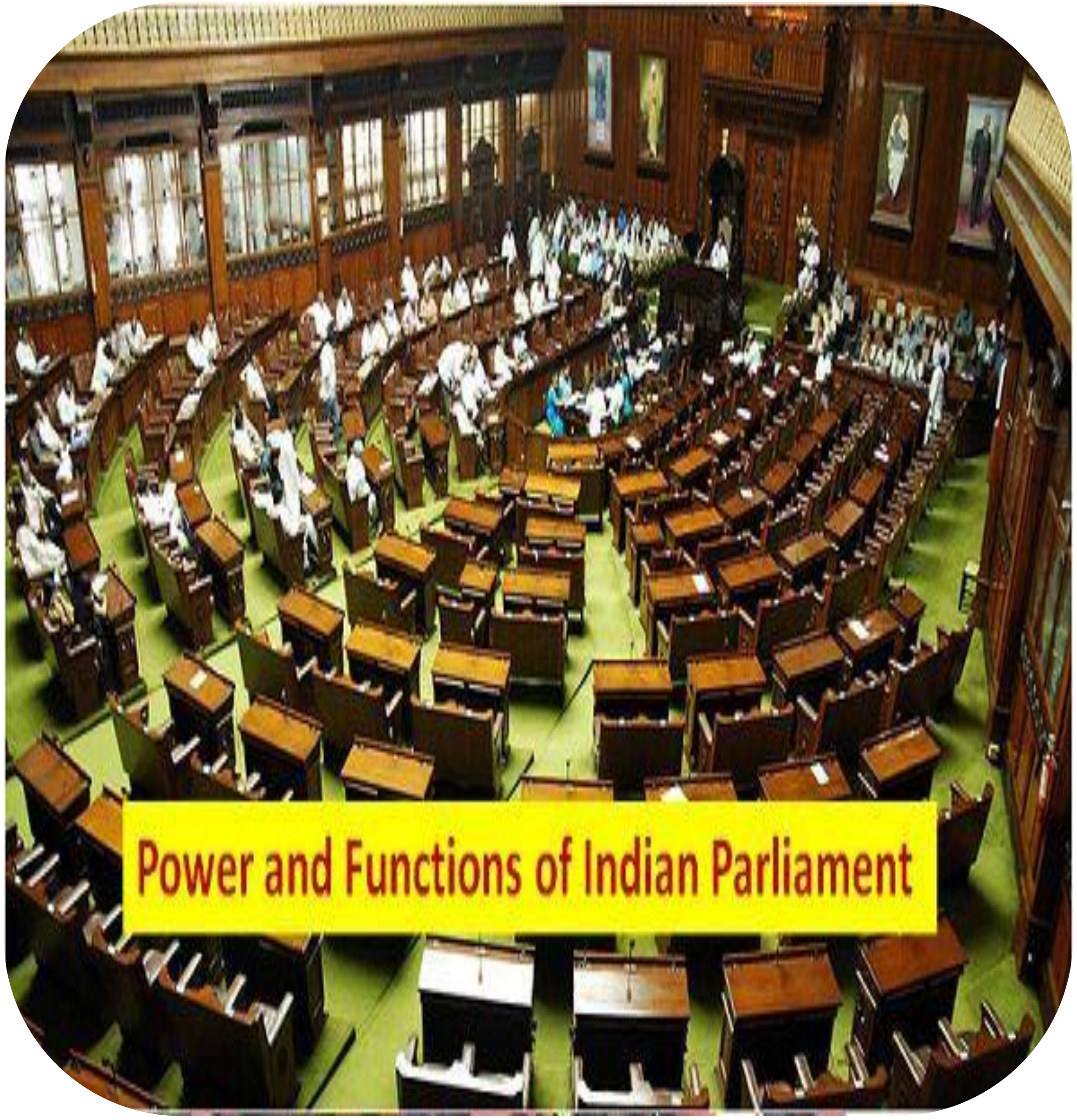

As for the states, Santhanam felt that the proposed allocation of powers would cripple them. The fiscal provisions would impoverish the provinces since most taxes, except land revenue, had been made the preserve of the Centre.

जहां तक राज्यों का सवाल है, सन्तनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा क्योंकि भूराजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं।

❖ **Who is a better patriot?**

Sir A. Ramaswamy Mudaliar from Mysore said during the debate on 21 August 1947:

❖ बेहतर देशभक्त कौन है?

मैसूर के सर ए. रामास्वामी मुदालियार ने 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था :

Let us not lay the flattering unction to our soul that we are better patriots if we propose a strong Centre and that those who advocate a more vigorous examination of these resources are people with not enough of national spirit or patriotism.

शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो इन संसाधनों पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है।

Santhanam predicted a dark future if the proposed distribution of powers was adopted without further scrutiny. In a few years, he said, all the provinces would rise in "revolt against the Centre".

सन्तनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जाँच–पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत "केंद्र के विरुद्ध" उठ खड़े होंगे।

They fought hard for fewer items to be put on the Concurrent and Union lists. A member from Orissa warned that "the Centre is likely to break" since powers had been excessively centralised under the Constitution.

उन्होंने इस बात के लिए जमकर ज़ोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण "केंद्र बिखर जाएगा।"

- **“What we want today is a strong Government”**
- “आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है”

The argument for greater power to the provinces provoked a strong reaction in the Assembly. The need for a strong centre had been underlined on numerous occasions since the Constituent Assembly had begun its sessions.

प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की माँग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएँ आने लगीं। शक्तिशाली केंद्र की ज़रूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था।

Reacting to the demands for giving power to the provinces, Gopalaswami Ayyangar declared that "the Centre should be made as strong as possible".

प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की माँग का जवाब देते हुए गोपालस्वामी अय्यर ने ज़ोर देकर कहा कि "केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए।"

One member from the United Provinces, Balakrishna Sharma, reasoned at length that only a strong centre could plan for the well-being of the country, mobilise the available economic resources, establish a proper administration, and defend the country against foreign aggression.

संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना ज़रूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके।

❖ The Language of the Nation

❖ राष्ट्र की भाषा

By the 1930s, the Congress had accepted that Hindustani ought to be the national language. Mahatma Gandhi felt that everyone should speak in a language that common people could easily understand.

तीस के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गाँधी का मानना था कि हरेक को एक एसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें।

Hindustani – a blend of Hindi and Urdu – was a popular language of a large section of the people of India, and it was a composite language enriched by the interaction of diverse cultures.

हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान–प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी।

From the end of the nineteenth century, however, Hindustani as a language had been gradually changing. As communal conflicts deepened, Hindi and Urdu also started growing apart. On the one hand, there was a move to Sanskritise Hindi, purging it of all words of Persian and Arabic origin.

लेकिन उन्नीसवीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे–धीरे बदल रही थी। जैसे–जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक–दूसरे से दूर जा रही थीं। एक तरफ तो फ़ारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी।

On the other hand, Urdu was being increasingly Persianised. As a consequence, language became associated with the politics of religious identities. Mahatma Gandhi, however, retained his faith in the composite character of Hindustani.

दूसरी तरफ उर्दू लगातार फ़ारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गाँधी की आस्था कम नहीं हुई।

❖ **What should the qualities of a national language be ?**

A few months before his death Mahatma Gandhi reiterated his views on the language question:

❖ राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?

अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गाँधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था :

❖ What should the qualities of a national language be ?

A few months before his death Mahatma Gandhi reiterated his views on the language question:

This Hindustani should be neither Sanskritised Hindi nor Persianised Urdu but a happy combination of both.

❖ राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?

अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गाँधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था :

यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फ़ारसीनिष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए।

It should also freely admit words wherever necessary from the different regional languages and also assimilate words from foreign languages, provided that they can mix well and easily with our national language.

उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के एसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुलमिल सकते हैं।

Thus our national language must develop into a rich and powerful instrument capable of expressing the whole gamut of human thought and feelings. To confine oneself to Hindi or Urdu would be a crime against intelligence and the spirit of patriotism.

HARIJANSEVAK, 12 OCTOBER 1947

इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बाँध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा।

हरिजन सेवक, **12** अक्तूबर **1947**

❖ A plea for Hindi

❖ हिंदी की हिमायत

In one of the earliest sessions of the Constituent Assembly, R. V. Dhulekar, a Congressman from the United Provinces, made an aggressive plea that Hindi be used as the language of constitution-making

संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात के लिए पुरज़ोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

When told that not everyone in the Assembly knew the language, Dhulekar retorted: "People who are present in this House to fashion a constitution for India and do not know Hindustani are not worthy to be members of this Assembly. They better leave."

जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि, "इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। उन्हें चले जाना चाहिए।"

As the House broke up in commotion over these remarks, Dhulekar proceeded with his speech in Hindi. On this occasion peace in the House was restored through Jawaharlal Nehru's intervention, but the language issue continued to disrupt proceedings and agitate members over the subsequent three years.

जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ तो धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई लेकिन भाषा का सवाल अगले तीन साल तक बार–बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा।

Almost three years later, on 12 September 1947, Dhulekar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm.

तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया।

THEME 15th

FRAMING THE CONSTITUTION

THE BEGINNING OF A NEW ERA

सं वधान का निर्माण

एक नए युग की शुरुआत

By now the Language Committee of the Constituent Assembly had produced its report and had thought of a compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who opposed it.

तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था।

It had decided, but not yet formally declared, that Hindi in the Devanagari script would be the official language, but the transition to Hindi would be gradual.

समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे–धीरे आगे बढ़ना चाहिए।

हिंदी

~~National Language~~

Official Language of India

By referring to Hindi as the official rather that the national language, the Language Committee of the Constituent Assembly hoped to placate ruffled emotions and arrive at a solution that would be acceptable to all.

संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था।

Dhulekar was not one who liked such an attitude of reconciliation. He wanted Hindi to be declared not an Official Language, but a National Language.

धुलेकर बीच–बचाव की एसी मुद्रा से राज़ी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए।

❖ The fear of domination

❖ वर्चस्व का भय

A day after Dhulekar spoke, Shrimati G. Durgabai from Madras explained her worries about the way the discussion was developing:

धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमति जी. दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा :

Mr President, the question of national language for India which was an almost agreed proposition until recently has suddenly become a highly controversial issue.

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुँच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है।

Whether rightly or wrongly, the people of non-Hindi -speaking areas have been made to feel that this fight, or this attitude on behalf of the Hindi -speaking areas, is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation.

चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर–हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह अहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा, या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है।

Durgabai informed the House that the opposition in the south against Hindi was very strong: "The opponents feel perhaps justly that this propaganda for Hindi cuts at the very root of the provincial languages ..."

श्रीमति दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है : "विरोधियों का यह मानना संभवत : सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है...।"

Yet, she along with many others had obeyed the call of Mahatma Gandhi and carried on Hindi propaganda in the south, braved resistance, started schools and conducted classes in Hindi. "Now what is the result of it all?"

इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ–साथ उन्होंने भी महात्मा गाँधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएँ चलायों। "अब इस सबका क्या नतीजा निकलता है?"

"I am shocked to see this agitation against the enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of the century."

दुर्गाबाई ने पूछा, "सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ।"

She had accepted Hindustani as the language of the people, but now that language was being changed, words from Urdu and other regional languages were being taken out.

दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थीं मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था, उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था।

Any move that eroded the inclusive and composite character of Hindustani, she felt, was bound to create anxieties and fears amongst different language groups.

उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषायो समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है।

As the discussion became acrimonious, many members appealed for a spirit of accommodation.

जैसे–जैसे चर्चा तीखी होती गई बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया।

THANKS
FOR
WATCHING